मार्च 2021 | अंक 03

PERFECT 7

साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल

1 भारत-बांग्लादेश संबंध

नई ऊर्जा का संचार

2 भारत निर्माण में महिलाओं की भूमिका : एक अवलोकन

3 स्वच्छ भारत अभियान एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दे

4 सार्वभौमिक शिक्षा का 'केरल मॉडल' : एक विश्लेषण

5 प्रत्यारोपण तथा आश्रय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि : एक परिचय

6 भारत का नॉलेज डिप्लोमेसी में बढ़ता कद

7 सिमलीपाल मुद्दे पर नैतिक मानकों की स्थिति

ध्येयIAS most trusted since 2003

ध्येय IAS : एक परिचय

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सी.ई.ओ.

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

Perfect 7 : एक परिचय

कुरबान अली
मुख्य संपादक

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

आशुतोष सिंह
प्रबंध संपादक

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है।

इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षक रूप से आपके सामने लाया जाता है। गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से हम बिना रूके, बिना थके प्रत्येक सप्ताह आपके लिए यह पत्रिका प्रकाशित करते हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

प्रस्तावना

हमने 'PERFECT 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'PERFECT 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'PERFECT 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'PERFECT 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक, ध्येय IAS

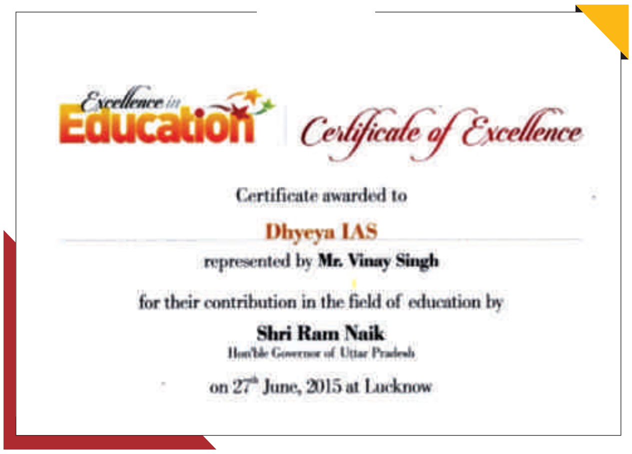

संघ लोक सेवा आयोग व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा में विगत कुछ वर्षों से राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्नों की संख्या में बढ़ोत्तरी हुई है। इसकी पुष्टि विगत वर्षों में संपन्न हुई परीक्षाओं के प्रश्न पत्र से की जा सकती है। इसलिए हमने 'PERFECT 7' पत्रिका के माध्यम से उन मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया है, जो परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। 'PERFECT 7' पत्रिका न केवल प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि यह साक्षात्कार के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। इसमें समसामयिक घटनाओं को बेहद रोचक ढंग से तालिका,फ्लोचार्ट एवं चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। 'PERFECT 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों को संकलित करते समय हमारा प्रयास न केवल उन मुद्दों के सभी पहलुओं अर्थात् एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक सांचे में ढालने का रहा है बल्कि ऐसे मुद्दों का इसमें विस्तृत विवेचन भी किया गया है, जिनका अन्य समसामयिक पत्रिकाओं में जिक्र तक नहीं होता है। 'PERFECT 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के माध्यम से समसामयिक विषयों की जानकारी को बेहद सटीकता व आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया गया है, जिससे छात्रों को कम समय में भी उपयोगी जानकारी सुलभ हो सके। इसके अतिरिक्त 'PERFECT 7' पत्रिका में सात महत्वपूर्ण खबरें, सात महत्वपूर्ण पीआईबी, सात महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न व सात महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश भी किया गया है। इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पत्रिका में तथ्यों की मात्रा से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी गुणवत्ता होती है, इसलिए इसी सिद्धांत का अनुपालन करके हमने सारगर्भित रूप में यह पत्रिका आपके सम्मुख प्रस्तुत की है, चूंकि कोई भी कृति अंतिम नहीं होती है, उसमें सुधार की सदैव संभावनाएँ विद्यमान रहती हैं। अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने बहुमूल्य सुझावों व समालोचनाओं से हमें अवगत कराएं।

अवनीश पाण्डेय
सम्पादक, ध्येय IAS

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

www.dhyeyaias.com

PERFECT 7
साप्ताहिक समसामयिकी

ध्येय IAS की एक नई पहल
मार्च 2021 | अंक 03

ध्येय टीम

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.	विनय कुमार सिंह
प्रबंध निदेशक	क्यू. एच. खान
मुख्य संपादक	कुरबान अली
प्रबंध संपादक	आशुतोष सिंह
संपादक	जीत सिंह अवनीश पाण्डेय ओमवीर सिंह चौधरी रजत झिंगन
संपादकीय सहयोग	प्रो. आर. कुमार
मुख्य लेखक	अजय सिंह अहमद अली स्वाती यादव स्नेहा तिवारी
लेखक	अशरफ अली गिरराज सिंह हरिओम सिंह अंशुमान तिवारी
समीक्षक	रंजीत सिंह रामयश अग्निहोत्री
आवरण सज्जा एवं विकास	संजीव कुमार झा पुनीश जैन
विज्ञापन एवं प्रोन्नति	गुफरान खान राहुल कुमार
प्रारूपक	कृष्ण कुमार कृष्णकांत मंडल मुकुन्द पटेल
कार्यालय सहायक	हरीराम राजू यादव

Content Office
ध्येयIAS®
most trusted since 2003
DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar,
Delhi-110009

विषय सूची

- 7 महत्वपूर्ण मुद्दे एवं उन पर आधारित विषयनिष्ठ प्रश्न 01–14
  - भारत-बांग्लादेश संबंध : नई ऊर्जा का संचार
  - भारत निर्माण में महिलाओं की भूमिका : एक अवलोकन
  - स्वच्छ भारत अभियान एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दे
  - सार्वभौमिक शिक्षा का 'केरल मॉडल' : एक विश्लेषण
  - प्रत्यारोपण तथा आश्रय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि : एक परिचय
  - भारत का नॉलेज डिप्लोमेसी में बढ़ता कद
  - सिमलीपाल मुद्दे पर नैतिक मानकों की स्थिति
- 7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स 15–21
- 7 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित) 22–23
- 7 महत्वपूर्ण खबरें 24–29
- 7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न (मुख्य परीक्षा हेतु) 30
- 7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु) 31
- 7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध एवं उत्तर लेखन के लिए उपयोगी) 32

OUR OTHER INITIATIVES

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

7 महत्वपूर्ण मुद्दे

01 भारत–बांग्लादेश संबंध : नई ऊर्जा का संचार

चर्चा का कारण

- हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच 'फेनी' नदी पर बने 'मैत्री सेतु' (Maitri Setu) का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैत्री सेतु भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों और मैत्रीपूर्ण संबंधों का प्रतीक है। 1.9 किलोमीटर लंबा यह पुल भारत में सबरूम (त्रिपुरा) को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। इसी वर्ष बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ और बांग्लादेश-भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने वाले हैं। भारत का मानना है कि उसकी 'पड़ोसी पहले' नीति में बांग्लादेश का प्रमुख स्थान है और भारत की 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में भी वह प्रासंगिक है।

परिचय

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी माह बांग्लादेश की आजादी की 50वीं वर्षगांठ और बांग्लादेश-भारत के बीच कूटनीतिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने के अवसर पर बांग्लादेश जाने वाले हैं। बांग्लादेश से भारत का रिश्ता रणनीतिक सरोकारों से कहीं ऊपर है। दोनों देशों के मधुर सम्बन्धों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश सेना की टुकड़ी ने भी गणतंत्र दिवस समारोह-2021 में हिस्सा लिया था। इसके अतिरिक्त भारत ने गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने की प्रतिबद्धता भी जताई है जिससे द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिली है।

- बांग्लादेश के मुक्ति संघर्ष या आजादी के बाद भी भारत हमेशा बांग्लादेश को मानवीय सहायता प्रदान करने में आगे रहा है, चाहे वह समुद्री तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हो अथवा कोविड-19 जैसा स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल हो। स्वास्थ्य पर्यटन ने भी द्विपक्षीय संबंधों में बड़ी भूमिका निभाई है।

मैत्री सेतु से दोनों देशों को लाभ

- भारत और बांग्लादेश के बीच सम्पर्क से न केवल मित्रता प्रगाढ़ हो रही है बल्कि व्यापार के लिए भी यह एक मजबूत कड़ी सिद्ध हो रही है। त्रिपुरा में हवाई अड्डे के लिए तेजी से हो रहे काम, समुद्र के जरिए इन्टरनेट सुविधा, रेलवे लाइन पहुंचाना और जलमार्गों के विकास से इस समूचे क्षेत्र को पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार गलियारे के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- पिछले वर्षों के दौरान रेललाइनों और नदीजल मार्गों के जरिये परिवहन और सम्पर्क की पूरी हुई परियोजनाओं को 'मैत्री सेतु' से और ताकत मिली है। इससे त्रिपुरा के साथ-साथ दक्षिणी असम, मिजोरम और मणिपुर का बांग्लादेश और दक्षिणपूर्व-एशिया से परस्पर सम्पर्क में और बढ़ोत्तरी होगी। इस सेतु से बांग्लादेश में भी आर्थिक उन्नति के अवसर बढ़ेंगे।
- नदी के रास्ते वैकल्पिक मार्ग के रूप में बांग्लादेश के चिटगांव बन्दरगाह को पूर्वोत्तर भारत से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। भंडारण और ट्रांस-शिपमेंट सुविधाओं के साथ सबरूम में आईसीपी एक पूर्ण रूप से सुसज्जित लौजिस्टिक हब के रूप में काम करेगा। फेनी नदी के ऊपर बने इस पुल के कारण अब अगरतला भारत के किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बन्दरगाह के सबसे निकट का नगर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-08 और राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-208 के चौड़ीकरण के लिए जिन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गयी थी उनके पूरा होने के बाद पूर्वोत्तर भारत के बन्दरगाहों से सम्पर्क और सुधर जाएगा।

दोनों देशों के बीच सहयोग के क्षेत्र

- आर्थिक मोर्चे पर, बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। दोनों देशों का आपसी व्यापार लगातार बढ़ रहा है। वर्ष 2013 में यह छह अरब डॉलर से बढ़कर वर्ष 2018 में 10 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। वर्ष 2020 में इसके बढ़ कर 15 अरब डॉलर से ज्यादा होने का अनुमान था किन्तु कोरोना महामारी की वजह से व्यापार में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं हुई।
- आज, भारत और बांग्लादेश बेहतर रूप से जुड़े हुए हैं और माल को जहाजों, ट्रकों, रेलवे और नदी मार्गों द्वारा ले जाया जाता है। हाल के समझौते से भारत मोंगला बंदरगाह तक अपना माल भेज सकता है।
- दोनों देशों ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग पर फ्रेमवर्क ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए हैं, जो निवेश, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, संयुक्त अध्ययन, प्रशिक्षण और हाइड्रोकार्बन कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा लिंकेज को आगे बढ़ाएगा। दवाईयों या चिकित्सा उपकरण या फिर चिकित्सा पेशेवरों का एक साथ काम करने का विषय हो, इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच सहयोग अच्छा चल रहा है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 से जुड़े टीके के क्षेत्र में भी अच्छा सहयोग चल रहा है।

चुनौतियाँ

- **सुरक्षा एवं सीमा प्रबंधन:** भारत और बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096.7 किमी. लंबी है। मादक पदार्थों और हथियारों की तस्कारी पर दोनों पक्षों (समन्वित सीमा प्रबंधन योजना, जिस पर वर्ष 2011 में हस्ताक्षर किये गए थे) ने ऐसी गतिविधियों की रोकथाम के लिए मिलकर उपाय करने तथा ऐसी गतिविधियों में शामिल अपराधियों के बारे में वास्तिविक सूचनाएं और जानकारी साझा करने पर सहमति जताई हैं। किन्तु वर्ष 2020 में भारत-बांग्लादेश सीमा पर आपराधिक गतिविधियों के कारण बांग्लादेश के 25 नागरिक मारे गए, जो एक दशक में सर्वाधिक है। ये सभी लोग अवैध तरीके से भारत में गाँजा सहित घुसने का प्रयास कर रहे थे। इस घटना से बांग्लादेश ने भारत के समक्ष आपत्ति जताई थी।
- **जल बंटवारा:** भारत और बांग्लादेश 54 नदियों के जल को समझौते के हिसाब से आदान प्रदान करते हैं, जिसके लिए बाकायदा संयुक्त नदी आयोग भारत और बांग्लादेश की सरकार द्वारा बनाया गया है। फिर भी दोनों देशों के बीच तीस्ता जल विवाद तब और अधिक बढ़ जाता है जब कम बारिश होती है या ऐसे मौसमों में जब बारिश बिल्कुल नहीं होती है।
- **बांग्लादेश में चीन का बढ़ता प्रभाव:** चीन द्वारा बांग्लादेश के बाजारों में शुल्क रहित चीनी सामान की सूची में नई चीजें शामिल करने और विकास परियोजनाओं के लिए मोटा कर्ज देने जैसे दाव आजमाये जा रहे हैं। बांग्लादेश, चीन का दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यात गंतव्य है। चीनी कंपनियां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में भारत को पछाड़ रही हैं।
- **रोहिंग्या और एनआरसी:** बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या शरणार्थियों और इस मुद्दे पर भारत की टिप्पणी से भी बांग्लादेश में कुछ असंतोष है। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल के बांग्लादेश दौरे के दौरान यह कह कर भारत के रुख में बदलाव का संकेत दिया था कि बांग्लादेश, म्यांमार और भारत के राष्ट्रीय हित में विस्थापित (रोहिंग्या) लोगों की सुरक्षित व त्वरित वापसी पर सहमति बन गई है। किन्तु असम में तैयार एनआरसी और उससे बाहर रहने वाले सात लाख से ज्यादा अल्पसंख्यक भी बांग्लादेश के लिए चिंता का विषय हैं।

आगे की राह

- बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों का महत्व इससे स्पष्ट होता है कि वह भारत की 'पड़ोसी पहले' नीति के लिए प्राथमिकता और पूरब की ओर स्थित देशों के साथ संबंधों को प्रगाढ़ करने वाली 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में प्रासंगिक है। भारत बांग्लादेश को महत्वपूर्ण पड़ोसी और ना सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि हिन्द-प्रशांत क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों में मूल्यवान साझेदार के रूप में देखता है।
- दोनों देश अपने संबंधों को सुरक्षा, व्यापार, परिवहन और संपर्क, संस्कृति, लोगों के बीच आपसी संपर्क और साझा संसाधनों के विकास के क्षेत्र में भी विकसित करना चाहते हैं। दोनों देशों के बीच आपसी संबंध इतना मधुर है कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसका समाधान आपस में बातचीत करने नहीं निकाल सकते हैं। जनवरी माह में भारत ने बांग्लादेश को कोविड-19 टीके की 20 लाख से ज्यादा खुराक भेजी थीं। इस महामारी ने वास्तव में दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान किया है।
- तीस्ता नदी जल बँटवारे के मद्देनजर व्यवस्थित जल प्रबंधन द्विपक्षीय संबंधों की समृद्धि को सुनिश्चित करने में सहायक हो सकता है। ऐसे में इसे शीघ्र हल किया जाना चाहिये। बीते एक दशक के दौरान विभिन्न मोर्चों पर बढ़ते सहयोग की वजह से भारत-बांग्लादेश संबंधों में परिपक्वता आई है। लेकिन मौजूद मुद्दों व चुनौतियों को शीघ्र सुलझाना दोनो देशों के हित में बेहतर होगा। भारत को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे से आपसी रिश्तों में सहयोग, समन्वय और मजबूती का एक नया आयाम जुड़ जाएगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

प्र. बांग्लादेश के साथ भारत के संबंधों का महत्व इससे स्पष्ट होता है कि वह भारत की 'पड़ोसी पहले' की नीति व 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' में प्रासंगिक है। चर्चा कीजिये।

02 भारत निर्माण में महिलाओं की भूमिका : एक अवलोकन

सन्दर्भ

- 8 मार्च को सम्पूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि इस वर्ष महिला दिवस की थीम 'चूज टू चैलेंज' (Choose to Challenge) है।

परिचय

- भारत मात्र एक देश नहीं बल्कि संस्कृति, सभ्यता तथा आदर्शो का एक समुच्चय है जिसके निर्माण में पुरुषों तथा महिलाओं द्वारा समान रूप से योगदान दिया गया है। भारतीय संस्कृति, समाज, विज्ञान, राजनीति के सभी आयामों में महिलाओ का अविस्मरणीय योगदान रहा है। प्राचीन काल में गार्गी, अपाला जैसी विदुषियों से आधुनिक काल में किरण बेदी, ममता बनर्जी जैसी महिलाओं की एक सुखद परम्परा रही है जिन्होंने देश की सर्वांगीण विकास में योगदान दिया है।
- भारत में महिलाओं की स्थिति ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरुषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिए जाने तक, आधुनिक काल में समानता, स्वतंत्रता तथा अधिकार के सिद्धांतो के पथ पर प्रगतिशील होते हुए भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा है।

प्राचीन काल में भारतीय महिलाएं

- सिंधु घाटी सभ्यता में मातृदेवी की मूर्तियों से स्पष्ट है कि इस सभ्यता में महिलाओं को सम्मान प्राप्त था।
- वैदिक काल में महिलाओं को पुरूषों के समान शिक्षा-दीक्षा का अधिकार था इस काल में गार्गी, अपाला जैसी विदुषी महिलाओं का नाम प्रमुख रहा है। वेदो में अदिति (देवताओ की माता) का वर्णन भी मिलता है। इस काल में बहुपत्नी तथा बहुपति विवाह प्रचलन में थे।
- महाजनपद काल आते आते राज्य निर्माण तथा युद्ध की प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण स्त्री संतान की इच्छा कम होती गई परन्तु इस काल में भी महिलाओं को सम्मान प्राप्त था।
- प्राचीन भारत के प्रसिद्द राजा गौतमी-पुत्र शातकर्णि संभवतः मातृ प्रधान वंश से सम्बंधित थे। साक्ष्यों के अनुसार गुप्त काल में प्रभावती गुप्त प्रभावशाली महिला रहीं।
- परन्तु समग्र रूप से महिलाओं की स्थिति में गिरावट देखने को मिलती है। महिलाओ को जो सम्मान वैदिक काल में मिला वह सामंत काल आते आते कम हो जाता है परन्तु पत्नी तथा माता के रूप में इस समय भी महिलाओं का सम्मान भारतीय समाज में हो रहा था।

मध्यकाल में भारतीय महिलाएं

- समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में मध्ययुगीन काल के दौरान और अधिक गिरावट आयी। इस समय तक भारत वर्ष में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुनर्विवाह पर रोक अपने चरम पर पहुँच चुके थे।
- पर्दा प्रथा तथा राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियां को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुपत्नी प्रथा प्रचलन में थी परन्तु बहुपति प्रथा का अंत हो चूका था।
- इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म के क्षेत्रों में सफलता हासिल की। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एकमात्र महिला सम्राज्ञी बनीं। गोंड की महारानी दुर्गावती, अहमदनगर की चांद बीबी ने तात्कालिक भारत के सबसे बड़ी शक्ति अकबर के विरुद्ध युद्ध किया।
- अकबर के काल में अकबर की धाय माता महामंगा का मुगल राजनीति में अच्छा प्रभाव था। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित किया। मुगल राजकुमारियाँ जहाँआरा और जेबुन्निसा, रोशन आरा इत्यादि मुगल राजनीति में भाग लेती थीं।
- राणाप्रताप तथा शिवाजी के व्यक्तित्व निर्माण में इनकी माताएं क्रमशः जयवंता बाई तथा जीजाबाई का नाम आदर से लिए जाता है।
- इसके साथ ही मीराबाई, महारानी पद्मिनी इस काल की प्रभावी महिलाऐं रहीं हैं जिन्होंने समाज, राजनीति तथा भक्ति मार्ग को प्रभावित किया है।

उपनिवेशी काल में महिलाएं

- कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी कित्तूर चेन्नम्मा, तटीय कर्नाटक की महारानी अब्बक्का रानी, झाँसी की महारानी रानी लक्ष्मीबाई, अवध की सह-शासिका बेगम हजरत महल जैसी महिलाओं ने न सिर्फ अपने प्रशासनिक गुणों का परिचय दिया बल्कि अंग्रेजों तथा अन्य यूरोपीय शक्तियों से युद्ध कर अपनी वीरता का भी परिचय दिया।
- होल्कर वंश की महारानी आहिल्या बाई होल्कर अर्थव्यवस्था, राजव्यवस्था, प्रशासन, सैनिक कुशलता में दक्ष थीं।

- भोपाल की बेगमें भी इस अवधि की कुछ उल्लेखनीय महिला शासिकाओं में शामिल थीं। उन्होंने पर्दा प्रथा को नहीं अपनाया और मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण भी लिया।
- कालांतर में, कादम्बिनी गांगुली, एनी बेसेंट, सुचेता कृपलानी ,कस्तूरबा गाँधी इत्यादि महिलाओं सहित अनेक जन सामान्य से आई महिलाओं ने स्वदेशी आंदोलन , असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलनों में सहयोग दिया।
- सावित्री बाई तथा कूचविहार की महारानी ने नारी शिक्षा पर जोर दिया। दुर्गा भाभी जैसी कई महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलनों में अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपना योगदान दिया था। इस काल में सतीप्रथा , शिशु बध पर रोक तथा विधवा पुनर्विवाह के प्रोत्साहन से महिलाओं को एक नवीन स्फूर्ति मिली जिसका प्रयोग उन्होंने राष्ट्र को स्वतंत्र कराने में किया।

स्वतंत्रता के बाद भारत में महिलाएं

- भारत में स्वतंत्रता, अधिकार,समानता जैसे आदर्शो के साथ भारत की महिलाएं समस्त क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहीं हैं।
- भारत के सफल नेतृत्वकर्ताओं में श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम आदर से लिया जाता है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश के सर्वोच्च पद पर भी आसीन रहीं।
- वर्तमान में भी बहन मायावती, ममता बनर्जी, सोनिया गाँधी, वसुंधरा राजे ने यह सिद्ध किया है कि महिलाओं की प्रशासनिक क्षमता भी राष्ट्र निर्माण में सहायक होती है।
- खेल के क्षेत्र में मिताली राज , पीवी सिंधु, सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल का नाम प्रमुखता से लिया जाता है।
- यदि हम भारतीय उद्योग जगत की बात करें तो अकाउंटिंग फर्म ग्रैंट थॉर्नटन की रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं को लीडरशिप रोल देने के मामले में भारतीय उद्योग जगत फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका के बाद दुनिया में तीसरे स्थान पर आ गया है। यहां सीनियर मैनेजमेंट में महिलाएं 39 प्रतिशत हैं, जो वैश्विक औसत (31 फीसदी) से कहीं अधिक है। निश्चित रूप से यह तथ्य भारतीय कॉरपोरेट जगत की अच्छी तस्वीर पेश करता है।
- वर्तमान मे हमारे देश की महिलायें जीवन के सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता हासिल करने के साथ-साथ भारत के कॉरपोरेट जगत में एक प्रभावी व्यक्तित्व होने के साथ ही अपनी विशेष पहचान भी बना चुकी हैं। विश्व स्तर पर उदाहरण स्वरूप देश की जानी-मानी सौन्दर्य और कल्याण से संबद्ध विशाल कंपनी VLCC हेल्थ केयर लिमिटेड वर्तमान में एशिया, अफ्रीका और गल्फ ऑपरेशन काउंसिल (GCC) में 11 से अधिक देशों में अपनी बिजनेस सेवायें उपलब्ध करवा रही है। इस कंपनी को वर्ष 1989 में एक गृहिणी, वंदना लूथरा ने स्थापित किया था। वर्ष 2013 में उन्हें अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 'पदम् श्री' से सम्मानित किया गया तथा फॉर्च्यून इंडिया द्वारा उन्हें भारत में 33 वीं सबसे शक्तिशाली व्यवसायी महिला के तौर पर भी रैंक दिया गया है।
- किरण मजूमदार शॉ बायोकॉन लिमिटेड की संस्थापक, अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। यह कंपनी देश की मशहूर फार्मास्यूटिकल कंपनी है। भारत सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 1989 में प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म श्री और वर्ष 2005 में पद्मभूषण से सम्मानित किया गया।
- नैना लाल किदवई आज की सबसे सफल और मशहूर भारतीय महिलाओं में से एक हैं। वे पूर्व में HSBC ग्रुप इंडिया की कंट्री हेड और ग्रुप जनरल मैनेजर थीं। उन्होंने अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर भी कार्य किया है जैसे वर्ष 1982-1994 के दौरान वे ANZ ग्रिंडलेस में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रमुख रहीं, JM मॉर्गन स्टैनले की उपाध्यक्ष, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में ग्लोबल एडवाइजर, नेस्ले SA की नॉन-एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, गवर्निंग बोर्ड NCAER की सदस्य, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आदि सहित कई अन्य पदों पर उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य किया। उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के कारण भारत सरकार ने उन्हें 'पदम् श्री' अवार्ड से सम्मानित किया है।
- इंदिरा नूयी' पेप्सिको इंडिया की अध्यक्ष हैं जो भारतीय मूल की हैं। इंदिरा नूयी को बिजनेस के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के कारण एवं भारतीय कॉरपोरेट में प्रेरणापुंज होने के कारण उन्हें प्रतिष्ठित 'पदम् भूषण' से सम्मानित किया गया।

निष्कर्ष

- ऐतिहासिक रूप से पिछड़ेपन से उबरकर भारत की महिलाओ ने सभी क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर राजनीति से लेकर खेल, अभिनय, कला, पत्रकारिता, प्रशासन में अपना लोहा भी मनवाया है तथा भारत के निर्माण में योगदान दिया है। भारत को सर्वोच्चता के शिखर पर पहुंचाने में इन महिलाओं का योगदान अविस्मरणीय रहेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-1

Topic:

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

प्र. भारत निर्माण में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डालें।

03 स्वच्छ भारत अभियान एवं महिलाओं से जुड़े मुद्दे

संदर्भ

- पेयजल और स्वच्छता विभाग (department of Drinking Water and Sanitation) ने भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों से लेकर कार्यान्वयन तक के सभी चरणों में महिला गरिमा और सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से संबोधित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि महिलाएं स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए समाज में स्थायी परिवर्तन ला सकती हैं क्योंकि स्वास्थ्य और स्वच्छता ऐसे मुद्दे हैं, जहां लड़कियों तथा महिलाओं को सबसे ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों (लक्ष्य 6.2) को प्राप्त करने हेतु भारत को 2030 तक सबके लिए पर्याप्त और समान स्वच्छता एवं साफ-सफाई सुविधाएं सुलभ कराना और खुले में शौच जाना बंद कराना होगा। इसमें महिलाओं और लड़कियों तथा लाचारी की हालत में जीते लोगों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा जाना बेहद आवश्यक है।

परिचय

- भारत सरकार की पहली पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में वर्ष 1954 में ग्रामीण भारत के लिए पहला स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह देखते हुए कि वर्ष 1981 की जनगणना में ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज मात्र 1% था। पेयजल एवं स्वच्छता को समर्पित अंतर्राष्ट्रीय दशक (1981-90) के दौरान ग्रामीण स्वच्छता पर अधिक बल दिया गया। भारत सरकार ने वर्ष 1986 में केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (CRSP) का आरंभ किया जिसका मूल उद्देश्य ग्रामीण जनता के जीवन कि गुणवत्ता में सुधार लाना और महिलाओं की निजता और सम्मान देना था। वर्ष 1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान (TSC)' के तहत एक मांग-आधारित दृष्टिकोण अपनाया गया था। इसके तहत

स्वच्छता सुविधाओं के लिए मर सृजन हेतु सुरक्षित स्वच्छता के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (IEC), मानव संसाधन विकास (HRD) और क्षमता संवर्धन पर बल दिया गया। इससे लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के अनुसार अन्य सेवा तंत्रों के माध्यम से उपयुक्त विकल्पों का चयन करने में सहायता मिली। गरीबी रेखा से नीचे (BPL) के परिवारों को द्वारा वैयक्तिक पारिवारिक शौचालय के निर्माण तथा उपयोग के लिए उनकी उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए, वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए गए।

स्वच्छ भारत मिशन

- स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत दिनांक 2 अक्टूबर, 2014 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, द्वारा की गई थी जिसका लक्ष्य महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर अर्थात् 2 अक्टूबर 2019 तक उनको श्रद्धांजलि स्वरूप 'स्वच्छ भारत' बनाना था। स्वच्छ भारत मिशन का लक्ष्य देश भर से खुले में शौच की शर्मनाक आदत का उन्मूलन कर, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए स्वच्छ, सुरक्षित और सुलभ वातावरण उपलब्ध कराना था।
- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जिसे दुनिया का सबसे बड़ा व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम कहा गया है, के तहत जमीनी स्तर पर जन आन्दोलन पैदा करके इस असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया गया। इसके परिणाम स्वरूप ग्रामीण स्वच्छता कवरेज जो वर्ष 2014 में 39% था वर्ष 2019 तक बढ़कर 100% हो गया और 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 10.28 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए। दिनांक 2 अक्टूबर, 2019 तक भारत के सभी जिलों ने स्वंय को खुले में शौचमुक्त घोषित कर दिया था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं महिलाएं

- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और अपशिष्ट जल के सुरक्षित निपटान तथा पुन: उपयोग के नए एजेंडों को शुरू करने के साथ साथ सतत् व्यवहार परिवर्तन की बात करता है। भारत स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के मूल सिद्धांत योजना, खरीद, बुनियादी ढांचा निर्माण, और निगरानी है और

इस मिशन के पहले चरण के दिशानिर्देशों के अनुसार इसमें महिलाओं की भूमिका अहम है। तदनुसार राज्य से अपेक्षा की गई थी कि वे गाँव में पानी और स्वच्छता समितियों (Village Water and Sanitation Committee -VWSCs) में महिलाओं के पर्याप्त प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करें, जिससे लिंगानुपात में सबसे अधिक सुधार हो।

- स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (SBM-Grameen) के प्रथम चरण के दिशानिर्देशों के अनुसार गाँव में पानी और स्वच्छता समितियों (VWSCs) में 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। कई राज्यों में, इन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन भी किया गया था। लेकिन शोध से पता चला है कि महिलाओं द्वारा समितियों में उठाए गए मुद्दों का ठीक प्रकार से क्रियान्वयन नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त पंचायतों में महिलाएँ नाम मात्र के लिये पदग्रहण करती हैं तथा सभी कार्य उनके पति या पुरुष अभिभावक करते हैं। इन मामलों में महिलाएँ ग्रामप्रधान तो होती हैं लेकिन परोक्ष रूप से सभी कार्य उनके पति ही करते हैं। हालांकि सरकार ने 8 लाख से अधिक स्वच्छाग्रहियों का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया है, जिनमें मुख्य रूप से महिलाएं हैं, जो छोटे मानदेय पर सामुदायिक स्तर पर व्यवहार परिवर्तन करने का प्रयास कर रही हैं। इस प्रकार स्वच्छ मिशन 2.0 की सफलता के लिए सूचना, शिक्षा और संचार बेहद महत्वपूर्ण है, और इसका उद्देश्य जनता के व्यवहार में परिवर्तन करना है।
- फिक्की के तत्वावधान में भारत स्वच्छता गठबंधन की शुरूआत (India Sanitation Coalition) की गयी है, जिसने महिलाओं द्वारा स्वच्छता आवश्यकताओं के लिये संचालित स्व-सहायता समूहों को सूक्ष्म-वित्त सुविधाओं से जोड़ने में सहायता की है। इससे जल, स्वच्छता और सफाई (Water, Sanitation, and Hygiene-WASH) कार्यक्रमों के साथ आय और कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) ने 'मिशन -सेनिटेशन ऑफ स्कूल्स' लॉन्च किया है। इस पहल के जरिए कंपनियों के साथ मिलकर देशभर में सरकारी स्कूलों में टायलेट का निर्माण कराया जा रहा है।
- स्वच्छ भारत मिशन (SBM) में लिंग परिणामों को ट्रैक और मापने के लिए एक राष्ट्रीय निगरानी और मूल्यांकन प्रणाली आवश्यक है। कई शोधकर्ताओं ने टिप्पणी की है कि स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावी परिकल्पना तभी साकार होगी जब इसके डिजाइन, कार्यान्वयन और उनकी निगरानी में लैंगिक समानता के अंतर को पाट दिया जाएगा।
- भारत सरकार के अतिरिक्त कई अन्य गैर-सरकारी संगठनों, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन व यूनिसेफ ने भी इस संबंध में विविध प्रयास किये हैं जिनकी सराहना की जानी चाहिये।

स्वच्छता के क्षेत्र में महिला नेतृत्त्व

- छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की चीचा ग्राम पंचायत की सरपंच उत्तरा ठाकुर बचपन से ही पोलियो ग्रस्त थीं, लेकिन उन्होंने सरपंच बनने के बाद घर-घर जाकर लोगों को शौचालय के उपयोग हेतु प्रेरित किया। उत्तरा ठाकुर ने गाँव वालों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर अपनी ग्राम पंचायत को खुले में शौच से मुक्त करा दिया।
- दोरोथिया केरकेट्टा पेशे से शिक्षिका थीं। दोरोथिया ने अभियान चलाकर अपनी पंचायत के करंगागुड़ी गांव को सिमडेगा जिले में खुले में शौच से मुक्त प्रथम गांव बनने का गौरव दिलाया। महिलाओं ने पूरे राज्य में शौचालय को अपने सम्मान से जोड़ा और इसे इज्जत घर का नाम दिया। झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां 55 हजार महिला रानी मिस्त्रियों ने 15 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया। झारखंड ने स्वच्छता के मानकों पर बड़ी लकीर खींची है। स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य को न सिर्फ एक वर्ष पूर्व प्राप्त कर लिया है बल्कि महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी पेश की।

आगे की राह

- खुले में शौच या स्वच्छता सुविधाओं की उपलब्धता के परिणामों पर पहले के शोध ने स्वास्थ्य और मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित किया है। घर में शौचालय लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ा सकता है। घर में शौचालय होने से महिलाओं के उनके घर से बाहर अंधेरे में सुनसान इलाकों में रहने की समयावधि में कमी आ जाती है। इसके परिणामस्वरूप महिला संबन्धित अपराधों में कमी आती है।
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में घर में शौचालय की उपलब्धता बढ़ाने में सफल रहा, जिसके कारण महिलाओं पर होने वाली यौन हिंसाओं में कमी आई। खुले में शौच पर घर की स्वच्छता सुविधाओं के लिए जोर देने वाली नीतियां न केवल मानव पूंजी और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती हैं - बल्कि महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण को भी बढ़ाती हैं।
- स्वच्छता का गहरा वास्ता वास्तव में लोगों, उनकी आदतों और आचार-व्यवहार से है। यह स्वास्थ्य की देखभाल के साथ भी काफी गहराई से जुड़ी हुई है। एसबीएम' के तहत इन सभी फायदों पर समग्रता के साथ गौर करना होगा। हालांकि, जब भी ये सारे फायदे मिलने लगेंगे तब भारत तेजी से बढ़ती रोजगार क्षमता एवं उद्यमिता की व्यापक संभावनाओं का लाभ उठाने लगेगा।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

प्र. भारत में स्वच्छता कार्यक्रमों से लेकर कार्यान्वयन तक के सभी चरणों में महिला गरिमा और सुरक्षा के मुद्दों को गंभीरता से संबोधित किया गया है। ऐसे में स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं की भूमिका की चर्चा कीजिये।

04 सार्वभौमिक शिक्षा का केरल मॉडल : एक विश्लेषण

संदर्भ

- 10 दिसम्बर 1948 को संयुक्त राष्ट्र आम सभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को स्वीकृत और अंगीकृत किया था। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा अनुच्छेद 26 (1) और (2) में मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, जो उसके समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। किन्तु मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के सात दशक बाद भी वैश्विक स्तर पर 58 मिलियन बच्चे स्कूल से बाहर हैं, साथ ही 100 मिलियन से अधिक बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही स्कूली शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 84 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं और 47 मिलियन बच्चे कक्षा 10 तक पहुँचने से पहले ही स्कूल शिक्षा प्रणाली से बाहर हो जाते हैं। ये आँकड़े दर्शाते है कि शिक्षा के संदर्भ में भारत के राज्यों में गहरी असमानता व्याप्त है। केरल देश में उच्चतम साक्षरता दर और प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में बच्चों के 100 प्रतिशत नामांकन के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिए भारत के अन्य राज्यों को केरल से सबक लेने की आवश्यकता है।

परिचय

- शिक्षा किसी देश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण संबंधी क्षेत्रों में सतत विकास की नींव है। यह एक मर्यादित जीवन के अधिकार और गरीबी तथा असमानताओं को कम करने के लिए व्यक्ति के विकास का प्रमुख तत्व है।
- यह लोगों को व्यावसायिक एकीकरण के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करती है और उत्पादकता, नवोन्मेष और उद्यमिता को बढ़ावा देती है।
- शिक्षा सोच-विचार करने की क्षमता का सृजन करती है, इस कारण से इतिहास के विभिन्न चरणों में, शिक्षा को विभिन्न शासकों द्वारा महत्व दिया गया।

- देश के इतिहास में, केरल एक मिसाल रहा है। शिक्षा ने, केरल के एक जातिवाद से ग्रस्त समाज से हमारे एक अधिक समतावादी राज्यों में परिवर्तित होने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। यह पहल दो सदी पूर्व की गई थी। इसके परिणामस्वरूप और इस समय के दौरान इस राज्य में साक्षरता की दर 19वीं सदी की शुरूआत से ऐतिहासिक रूप से अधिक रही है। इससे शिक्षा के लिए सर्वसाधारण के एकजुट होने का मार्ग प्रशस्त हुआ और एक सक्रिय नागरिक वर्ग का सृजन हुआ जो आधुनिक केरल का निर्धारक पहलू है।

शिक्षा के क्षेत्र में 'केरल मॉडल'

- केरल में शिक्षा की बुनियाद त्रावणकोर की रानी गौरी पार्वती बाई के 1817 में जारी शाही उद्घोषणा से समझी जा सकती है, जिसमें कहा गया कि 'राज्य को अपने लोगों की शिक्षा की संपूर्ण लागत का वहन करना चाहिए क्योंकि लोगों के बीच ज्ञानोदय के विस्तार में कोई पिछड़ापन न हो।' तत्कालीन शासक वर्ग के लिए सर्व शिक्षा शुरू करने के पीछे चाहे जो भी प्रेरणा रही हो, किन्तु इसके परिणाम असाधारण रहे थे। त्रावणकोर के एक अन्य शासक ने अपनी शिक्षा नीतियों को स्पष्ट करते हुए कहा था,"कोई ऐसी सरकार जिसे शिक्षित लोगों के साथ कार्य करना होता है, वह उस सरकार से काफी अधिक मजबूत होती है जिसे अशिक्षित और अव्यवस्थित जनता को नियंत्रित करना होता है। इसलिए, शिक्षा दो प्रकार से लाभकारी है – यह शिक्षा देने वाले और शिक्षा प्राप्त करने वाले दोनों को लाभान्वित करती है।
- 1989 में तत्कालीन वाम मोर्चे की सरकार द्वारा क्षेत्रीय स्कूलों को कई हस्तक्षेपों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मानकों को देखते हुए बढ़ावा दिया गया। केरल में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल को अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित किया गया है। केरल को अप्रैल 1991 में देश का पहला सम्पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया था।
- बजटीय आवंटन के अलावा, कुछ नेताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति और लोगों की सामूहिक भागीदारी ने केरल में बच्चों की शिक्षा के लिए वित्त पोषण की व्यवस्था की। परिणाम यह हुआ कि केरल ने प्राथमिक शिक्षा में 100 फीसदी साक्षरता हासिल कर ली है।
- केरल में विभिन्न सरकारों ने शिक्षा के लिए पूंजी परिव्यय में वृद्धि की है और साथ ही स्थानीय निकायों के माध्यम से शिक्षा के विकेन्द्रीकृत वित्तपोषण को बढ़ाया है। वहाँ शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च भी लगातार बढ़ रहा है। केरल मॉडल से पता चलता है कि पोषण, स्वास्थ्य, स्वच्छता और प्रारंभिक शिक्षा से मानव विकास में स्थायी विकास प्राप्त किया जा सकता है।
- केरल ने साक्षरता मिशन के तहत अक्तूबर 2014 में 'अथुल्यम' (Athulyam) नामक

एक योजना की शुरुआत की जिससे शिक्षा के लिए सर्वसाधारण के एकजुट होने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

- केरल ने सभी सरकारी स्कूलों को पूरी तरह डिजिटल करने की घोषणा कर दी है। सरकार के अनुसार राज्य के 16 हजार सेकेंडरी और प्राथमिक स्कूलों में हाई टेक क्लासरूम और लैब होगा।

चुनौतियाँ

- देश की शिक्षा व्यवस्था बजट की भारी कमी से जूझ रहा है। उच्च शिक्षा हो या स्कूली शिक्षा, हर जगह बजट की कमी है। पिछले एक दशक के दौरान शिक्षा के क्षेत्र में खर्च देश के जीडीपी के 3 प्रतिशत से भी कम रहा है, जबकि प्रस्तावित वैश्विक मानक 6 प्रतिशत है।
- शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए 1964 में बने कोठारी आयोग का सबसे प्रमुख सुझाव था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 6 प्रतिशत शिक्षा के मद में खर्च किया जाए। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968) में इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य भी बनाया गया था। लेकिन इस राष्ट्रीय लक्ष्य को आज 41 साल बाद भी नहीं प्राप्त किया जा सका है।
- शिक्षा पर खर्च का वैश्विक औसत जीडीपी 4.7 % है। अमेरिका अपनी जीडीपी का 5.6 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करता है। जबकि नार्वे और क्यूबा जैसे छोटे देश अपनी जीडीपी का क्रमशः 7 और 13 प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करते हैं। भारत के समान अर्थव्यवस्था वाले देश ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका दोनों शिक्षा पर लगभग अपनी जीडीपी का 6 प्रतिशत खर्च करते हैं। भारत में जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में बजट काफी कम है, वहीं इसका वितरण भी काफी असमान सा है। बजट के असमान वितरण के अलावा एक और समस्या यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में जितना बजट प्रस्तावित किया जाता है, उतना खर्च नहीं हो पाता। सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) की एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले 10 सालों में 8 बार ऐसा मौका आया जब शिक्षा पर प्रस्तावित बजट खर्च नहीं हो सका। इस रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 2019 के दौरान लगभग 4 लाख करोड़ रुपये प्रस्तावित बजट शिक्षा के क्षेत्र में खर्च नहीं हो सका।

सरकारी प्रयास

- संविधान (86वां संविधान संशोधन) अधिनियम, 2002 छह से चौदह वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों प्री-स्कूल से माध्यमिक स्तर तक सबके लिए एकसमान पहुंच सुनिश्चित करने पर जोर देती है। स्कूल छोड़ चुके बच्चों को फिर से मुख्य धारा में शामिल करने के लिए स्कूल के बुनियादी ढांचे का विकास और नवीन शिक्षा केंद्रों की स्थापनी की जाएगी। एनईपी 2020 के तहत स्कूल से दूर रह रहे लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा।
- नई शिक्षा नीति का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने जन्म या पृष्ठभूमि से जुड़ी परिस्थितियों के कारण ज्ञान प्राप्ति या सीखने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के किसी भी अवसर से वंचित नहीं रह जाए। इसके तहत विशेष जोर सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (एसईडीजी) पर रहेगा जिनमें बालक-बालिका, सामाजिक-सांस्कृतिक और भौगोलिक संबंधी विशिष्ट पहचान एवं दिव्यांगता शामिल हैं।
- इसमें बुनियादी सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों एवं समूहों के लिए बालक-बालिका समावेशी कोष और विशेष शिक्षा जोन की स्थापना करना भी शामिल है। दिव्यांग बच्चों को बुनियादी चरण से उच्च शिक्षा तक की नियमित स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाया जाएगा।

आगे की राह

- केन्द्रीय बजट 2021 में शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.75 आवंटित किया गया है। इससे यह समझा जा सकता है कि समवर्ती सूची में होने वाली शिक्षा को बजट में अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त शिक्षा में लड़कियों और लड़कों के बीच विषमता पूरी तरह समाप्त करना और विकलांग व्यक्तियों, मूल निवासियों और संकट की परिस्थितियों में घिरे बच्चों सहित लाचार लोगों के लिए शिक्षा और व्यानवसायिक प्रशिक्षण के सभी स्तररों तक समान पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए।
- नीतिगत उपायों से सुलभता और शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के साथ-साथ केरल की तरह संबद्ध बाधाओं को भी हटाना होगा, जिनमें जेंडर असमानताएं, खाद्य सुरक्षा और सशस्त्र संघर्ष शामिल हैं।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएं और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

Topic:

- स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र/ सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित मुद्दे।

प्र. सार्वभौमिक शिक्षा के लिए केरल मॉडल को अपनाने की जरूरत पर बल दीजिये।

05 प्रत्यारोपण तथा आश्रय एवं अन्तर्राष्ट्रीय विधि : एक परिचय

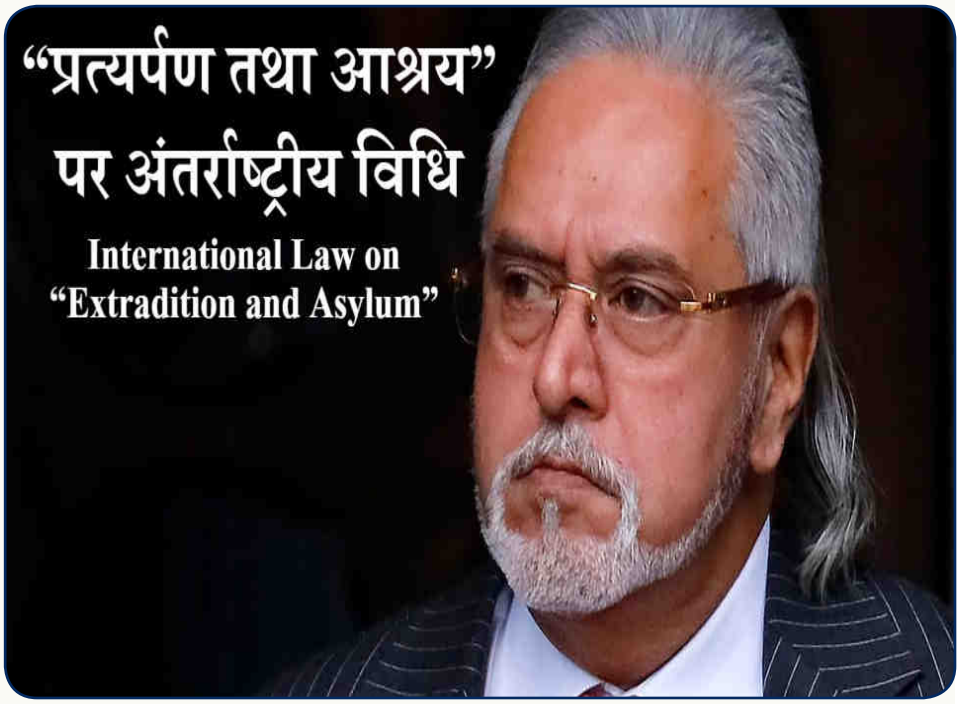

सन्दर्भ

- हाल ही में ब्रिटेन के सर्वोच्च न्यायालय ने विजय माल्या के भारत प्रत्यर्पण को स्वीकृति तो दे दी है परन्तु अभी तक प्रत्यर्पण हो नहीं पाया है।

परिचय

- किंगफिशर के मालिक विजय माल्या पर 17 भारतीय बैंकों का 9,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बकाया है। इस राशि को चुकाने के स्थान पर वह 2 मार्च, 2016 को भारत छोड़कर ब्रिटेन भाग गया। चुकी इस फ्राड से सम्बंधित राशि भारतीय जनता से सम्बंधित है अतः भारतीय एजेंसियों ने ब्रिटेन से प्रत्यर्पण की मांग के सम्बन्ध में वहां के न्यायालय में प्रत्यर्पण की अपील की।
- एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद ब्रिटेन के न्यायालय ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण की अपील को मान लिया है। ध्यातव्य है कि भारत की एजेंसियां स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के नेतृत्व में ब्रिटेन में माल्या के कानूनी प्रक्रिया में वादी की भूमिका में थीं। अभी तक विजय माल्या को ब्रिटेन ने भारत को नहीं सौंपा है।

क्या होता है प्रत्यर्पण

- प्रत्यर्पण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अन्तर्गत किसी सन्धि या उभयपक्षी व्यवहार के अन्तर्गत एक राज्य, दूसरे राज्य (राष्ट्र) के अनरोध करने पर एक ऐसे व्यक्ति को दूसरे राज्य (राष्ट्र) को सौंपता है जिसने अनुरोध करने वाले राज्य के राज्यक्षेत्र के अन्तर्गत या तो कोई अपराध किया है या किसी अपराध के लिए उस राष्ट्र की विधिक प्रक्रिया के अनुसार दण्डित किया गया है तथा तथाकथित राष्ट्र उस अपराधी के अभियोजन के लिए सक्षम है।
- अन्तर्राष्ट्रीय विधि में प्रत्यर्पण मुख्यतः द्विपक्षीय सन्धियों पर आधारित है। इस पर सार्वभौमिक नियम नहीं बन सका है। प्राचीन काल से ही राज्यों (राष्ट्रों) ने सदैव विदेशियों को शरण देना अपना अधिकार समझा है। अतः प्रत्यर्पण दो राज्यों (राष्ट्रों) के परस्पर सम्बन्ध से संचालित होता है। अतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि का प्रथाओं सम्बन्धी कोई सार्वभौमिक (Universal) नियम नहीं है, जिसके द्वारा राज्यों पर प्रत्यर्पण का उत्तरदायित्व हो।

प्रत्यर्पण हेतु आवश्यक शर्त

- राजनैतिक अपराधियों, सैनिक अपराध, धार्मिक अपराध पर प्रत्यर्पण नहीं होना चाहिए। परन्तु राजनैतिक अपराध की परिभाषा में विभिन्न राज्यों में परस्पर मतभेद है।
- प्रत्यर्पण में विशेषता का नियम लागू होता है इस नियम के अनुसार अपराधी का प्रत्यर्पण किसी अपराध विशेष के लिए होता है अतः वह देश अपराधी के विरुद्ध वही मुकदमा चला सकता है जिसके लिए उसका प्रत्यर्पण किया गया हो।
- प्रत्यर्पण में दोहरी अपराधिकता का नियम भी लागू होता है इस नियम के अनुसार जिस अपराध के लिए प्रत्यर्पण होता है वह अपराध दोनों सम्बन्धित देशों (प्रत्यर्पण करने वाला तथा प्रत्यर्पण माँगने वाला) में अपराध घोषित होना चाहिए।
- प्रत्यर्पण संधि में लिखित सभी शर्तों तथा नियमों का पालन अपराधी के प्रत्यर्पण के पहले तक बहुधा किया जाता है। तथा प्रत्यर्पण के लिए औपचारिक प्रार्थना आवश्यक है।
- जब किसी व्यक्ति के ऊपर दोषारोपण होता है कि उसने किसी विदेशी देश में अपराध किया है तथा सम्बन्धित विदेशी देश उसके प्रत्यर्पण की मांग करता है तो यह आवश्यक नहीं कि अपराध के समय अभियुक्त उस विदेशी देश में उपस्थित हो।

भारत में प्रत्यर्पण

- प्रत्यर्पण अधिनियम 1962 की धारा 2 (डी) भगोड़े अपराधियों के प्रत्यर्पण से संबंधित विदेशी राज्य के साथ भारत द्वारा की गई संधि, समझौते या व्यवस्था के रूप में प्रत्यर्पण संधि को परिभाषित करती है और इसमें किसी भी संधि, समझौते या व्यवस्था से संबंधित कोई संधि, समझौता या व्यवस्था शामिल है।

भारत के प्रत्यर्पण सम्बन्धी प्रसिद्ध मामले

सावरकर केस -1911

- बी.ड़ी. सावरकर एक भारतीय क्रान्तिकारी थे जिन्हें एक जलयान द्वारा भारत लाया जा रहा

था, उनके विरुद्ध देशद्रोह तथा अपराध को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में मुकदमा ब्रिटिश भारत की न्यायालय में चलाया जाना था। सावरकर जहाज से भाग निकले परन्तु वह फ्रांस की पुलिस द्वारा पकड़े गये। फ्रांस के जलयान के कप्तान ने उन्हें ब्रिटिश जलयान के कप्तान को सुपुर्द कर दिया। इसके उपरान्त फ्रांस सरकार ने ब्रिटिश सरकार से कहा कि सावरकर को लौटा दें क्योंकि इस मामले में प्रत्यर्पण-सम्बन्धी नियमों का ठीक से पालन नहीं हुआ। तथा यह मामला हेग न्यायालय गया जहाँ ब्रिटेन के पक्ष में फैसला सुनाया गया। तात्कालिक विधि शास्त्रियों ने इसकी आलोचना की।

धर्म तेजा केस 1972

- धर्म तेजा एक शिपिंग कंपनी के डायरेक्टर थे जिसने करोड़ो रूपये का गबन कर आईबरी कोस्ट में शरण ली थी। भारत तथा आईबारी कोस्ट की प्रत्यर्पण संधि न होने के कारण आइवरी कोस्ट ने धर्म तेजा को वापस करने से इंकार कर दिया।
- बाद में धर्म तेजा लन्दन गया तथा वहां से 1972 में भारत लाया गया जहाँ उसे सजा सुनाई गई।

भारत -ब्रिटेन प्रत्यर्पण संधि

- भारत तथा ब्रिटेन के मध्य 1993 में प्रत्यर्पण संधि हुई है।
- भारत के लगभग 131 वांछनीय लोगों की सूची ब्रिटेन के पास है।
- ब्रिटेन ने 1993 से अब तक एक भी अपराधी को भारत नहीं भेजा है।

आश्रय की परिभाषा

- आश्रय से अर्थ है- शरण या सक्रिय सुरक्षा। यह आश्रय राजनैतिक शरणार्थियों को दिया जाता है। अंतराष्ट्रीय व्यवस्था में सभी राज्य राजनैतिक शरणार्थी को आश्रय देने तथा उसके प्रत्यर्पण न करने पर सहमत हैं परन्तु राजनैतिक अपराध की परिभाषाओ में व्यापक भिन्नता है।
- मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 के अनुसार प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देश में आश्रय मांगने का अधिकार है।

आश्रय के प्रकार

सामान्यतया आश्रय दो प्रकार के होते हैं।

- **प्रादेशिक आश्रय-** प्रादेशिक आश्रय में शरणार्थी, शरण देने वाले राज्य की भौगोलिक सीमा में होता है यथा भारत द्वारा दलाईलामा को दिया गया आश्रय
- **बाह्य प्रादेशिक आश्रय-** बाह्य प्रादेशिक आश्रय में शरणार्थी, शरण देने वाले राज्य की राजनैतिक सीमा यथा विदेशी दूतवास, व्यापारिक जहाज, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में होता है।

आश्रय प्राप्त करने के अधिकार

- मानवीय अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 14 में प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को दूसरे देशों में आश्रय माँगने का अधिकार है (परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि जब कोई व्यक्ति आश्रय माँगे तो उसे आश्रय मिले ही)
- प्रादेशिक या क्षेत्रीय आश्रय पर एक संयुक्त राष्ट्र घोषणा, 1967 को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया। इसके अनुसार राज्यों को ऐसे उत्पीड़ित व्यक्तियों को जो सीमा पर आश्रय की माँग करते हैं उन्हें आश्रय अस्वीकार करने आदि कार्यवाहियों से प्रतिविरत रहना चाहिए। परन्तु इस घोषणा को बाध्यकारी नहीं कहा जा सकता।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 14 दिसम्बर, 1967 को प्रस्ताव में कहा कि आश्रय के सन्दर्भ में राज्यों को निम्न विन्दुओ का ध्यान रखना चाहिए-
- कोई व्यक्ति जब आश्रय माँगे तो उसे अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए या जब कोई व्यक्ति आश्रय माँगने वाले राज्य की सीमा में प्रवेश कर जाय तो उसे निकाला नहीं जाना चाहिए (परन्तु राष्ट्रीय सुरक्षा एवं जनता की सुरक्षा के आधार पर उसे निकाला जा सकता है।)
- यदि कोई राज्य आश्रय देने में असहज है तो व्यक्तिगत राज्य या संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय एकता के भाव से उचित उपाय पर विचार करना चाहिए।
- यदि कोई राज्य किसी पीड़ित को आश्रय देता है तो अन्य राज्यों को उसका सम्मान करना चाहिए।

निष्कर्ष

- राजनैतिक अपराधी को शरण देना किसी राज्य का सम्प्रभु अधिकार है तथा यह विभिन्न संधियों तथा व्यवहारों के माध्यम से लागू होता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्बन्धों के अनुरूप राजनैतिक शरणार्थी को शरण देना आवश्यक है, परन्तु आर्थिक भगोड़ों के सम्बन्ध में एक सार्वभौमिक प्रत्यर्पण संधि को स्वीकारा जाना आवश्यक है, जिससे आर्थिक सम्प्रभुता सुनिश्चित हो सके।
- ब्रिटेन की न्यायालय ने विजय माल्या को भारत भेजने सम्बन्धी निर्णय लेकर एक सकारात्मक शुरुआत की है अब आवश्यक है कि जल्द ही इस निर्णय को लागू कर अन्य आर्थिक सम्प्रभुता के रक्षण के लिए देशो के लिए उदाहरण प्रस्तुत किया जाए।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. प्रत्यर्पण तथा आश्रय पर अंतर्राष्ट्रीय विधि पर प्रकाश डालें, विजय माल्या के प्रत्यर्पण के संदर्भ में यह विधि कहाँ तक कारगर है?

06 भारत का नॉलेज डिप्लोमेसी में बढ़ता कद

चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) द्वारा ब्राजील के अमेजोनिया-1 उपग्रह के प्रक्षेपण के कुछ दिनों बाद ही भारत ने ब्राजील को COVID-19 वैक्सीन के निर्यात की अनुमति दी, जो उसके 'वैक्सीन मैत्री' (vaccine maitri) कूटनीति को दर्शाता है। जानकरों का मानना है कि भारत का तकनीकी और वैज्ञानिक सहयोग भारत की ज्ञान अर्थव्यवस्था की क्षमता (diplomatic potential of Indias knowledge economy) को उजागर करता है। ऐसे में देखा जाये तो अंतरिक्ष और फार्मास्यूटिकल्स (pharmaceuticals) के क्षेत्र में भारत की वर्तमान वैश्विक कूटनीति, दुनिया भर के कई देशों को आकर्षित कर रही है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि भारत ने अंतरिक्ष, फार्मा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में बढ़त हासिल कर नॉलेज डिप्लोमेसी (Knowledge diplomacy) में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

परिचय

- पीएसएलवी (पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल) सी51/अमेजोनिया-1 इसरो की वाणिज्य इकाई न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) का पहला समर्पित वाणिज्यिक मिशन है। अमेजोनिया-1 चार साल तक डाटा भेजता रहेगा। सरकारी संस्थान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) लॉन्च व्हीकल, सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने में सबसे आगे रहा है। ISRO ने बड़ी मात्रा में अंतरिक्ष सुविधाओं का निर्माण किया है और उनकी देखरेख कर रहा है। इतना ही नहीं वो और बुनियादी ढांचों का निर्माण कर रहा है। इसके अतिरिक्त भारत के फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र ने भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के लागू होने के बाद गति पकड़ी। पिछली सरकारों ने भी दोनों उद्योगों के विकास में योगदान दिया है। इन पहलों के बदौलत भारत आज विश्व के कई देशों के उपग्रहों को

विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी या सस्ते दरों लॉन्च करने में सक्षम है, साथ ही विकासशील देशों को सस्ती कीमत पर ड्रग्स और टीकों की आपूर्ति करने में भी वह सक्षम है।

- सैटेलाइट लॉन्च और फार्मास्युटिकल निर्यात के मोर्चे पर भारतीय इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिभा ने दर्शाया है कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में विश्व स्तरीय मानकों का पालन करते हुए वहनीय मूल्यों पर यह सफलता अर्जित की जा सकती है। उच्च गुणवत्ता वाले भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट सरकार के प्रयासों से भारत में काम करना पसंद कर रहे हैं, इसरो और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जैसे संगठनों ने बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिये मानव पूंजी, तकनीकी तथा वैज्ञानिक नवाचार की तीव्र प्रगति, सेवाएँ इत्यादि क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है।

नॉलेज डिप्लोमेसी से भारत का बढ़ता कद

- भारत के ज्ञान आधारित उत्पादों (knowledge-based products) की कम लागत व वैश्विक प्रदाता होने की संभावित क्षमता ने विकसित अर्थव्यवस्था वाले पश्चिमी देश, विशेष रूप से अमेरिका ने भारतीय क्षमताओं के विकास को रोकने के उद्देश्य से अपनी नीतियों में परिवर्तन किया है। गौरतलब है कि दिसम्बर 2020 में भारत और अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकार पर आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे, जिसके तहत दोनों देश बौद्धिक संपदा अधिकारों के क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया साझा करेंगे और साथ मिलकर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाएंगे किन्तु इसके बावजूद भी अमेरिका द्वारा भारतीय उद्योग को प्रौद्योगिकी और बाजारों तक पहुंच से दूर करने के लिए एकपक्षीय प्रतिबंध और बौद्धिक संपदा अधिकारों का आड़ लिया गया। इस तरह की बाधाओं के कारण भारत ने अंतरिक्ष और फार्मा में अपनी क्षमताएं बढ़ायी हैं।

भारत की नॉलेज डिप्लोमेसी एवं चुनौतियाँ

- भारत की नॉलेज डिप्लोमेसी 1950 के दशक से रफ्तार पकड़ने लगी, जब कई विकासशील देशों द्वारा विकास उन्मुख ज्ञान (development-oriented knowledge) का उपयोग करने के लिये भारत से सहायता मांगी गई। इस दौरान एशिया और अफ्रीका के छात्रों ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश लिया। इसके अतिरिक्त खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन (UNIDO) और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (IRRI) जैसे वैश्विक संगठनों द्वारा भारतीय विशेषज्ञता तक पहुँच प्राप्त करने की

भी इच्छा व्यक्त की गई थी। दक्षिण कोरिया की सरकार ने भी अपने अर्थशास्त्रियों को भारतीय योजना आयोग में 1960 के दशक की शुरुआत में दीर्घकालिक योजना बनाने के लिए प्रशिक्षित किया। हालांकि 1970 के दशक तक, कोरिया आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के रूप में भारत से आगे निकलने लगा।

- कई अन्य क्षेत्र थे जिनमें भारतीय विशेषज्ञता अतीत में शानदार थी किन्तु वर्तमान में उसमें भारत पिछड़ गया है। रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज (RITES), जिसे 1974 में इंदिरा गांधी द्वारा स्थापित किया गया था, ने अफ्रीका और एशिया में व्यापार के साथ एक वैश्विक प्रोफाइल हासिल कर ली थी। इसके अतिरिक्त भारत की डेयरी और पशुधन अर्थव्यवस्था के विकास ने भी वैश्विक समुदाय को आकर्षित किया। अंतरिक्ष और फार्मा क्षेत्र में भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के पास विकासशील देशों को लुभाने का यह बेहतर समय है क्योंकि पश्चिमी देशों की विकसित अर्थव्यवस्थाएं विकासशील देशों को सेवाएँ या दवाएं उच्च स्तर पर उपलब्ध कराते हैं।
- भारत अंतरिक्ष, फार्मा और सूचना-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में बढ़त बनाने के बावजूद 1970 के दशक से नॉलेज डिप्लोमेसी में पिछड़ने लगा। इसकी दो प्रमुख वजहें थीं, पहली-स्थानीय प्रतिभाओं का पलायन शुरू हो गया था, और दूसरी वजह थी कि चीन भारत की अपेक्षा कम कीमतों पर एस एंड टी उत्पादों (S&T products) और सेवाओं को मुहैया करा रहा है। हालांकि भारत ने आईटी सॉफ्टवेयर में अपनी बढ़त बनाए रखी है, किन्तु चीन ने अंतरिक्ष, फार्मा, रेलवे और कई अन्य ज्ञान-आधारित उद्योगों में प्रतिस्पर्धी क्षमताओं का विकास किया है।

- भारत की ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा झटका उच्च शिक्षा क्षेत्र के कारण लगा है। प्रवासी छात्रों को भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों ने आकर्षित किया था क्योंकि वे विकसित देशों के संस्थानों की तुलना में कम लागत गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराते थे। किन्तु वर्तमान में विदेशी छात्रों द्वारा भारत में शिक्षा के लिए नामांकन कराने की संख्या में कमी आई है। यहां तक कि दक्षिण एशियाई छात्र, नेपाल, भूटान और श्रीलंका जैसे देशों से, जो 1960 और 1970 के दशक में भारत आना पसंद करते थे, अब ऐसा नहीं करते। भारतीय संस्थानों में आने वाले विदेशी छात्रों की संख्या में गिरावट का कारण अधिकांश संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में आई कमी है, साथ ही संकीर्ण विचारधाराओं के बढ़ते प्रभाव से उन छात्रों को वो माहौल नहीं मिल पा रहा है, जो उन्हे पहले मिलता था।

आगे की राह

- अंतरिक्ष और फार्मा नॉलेज अर्थव्यवस्था (knowledge economy) में शीर्ष पर हैं। ऐसे में सरकार का प्रयास होना चाहिए कि सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियां भारतीय प्रतिभाओं के लिये रोजगार के बेहतर संभावनाएँ विकसित करें साथ ही अंतरिक्ष और फार्मास्यूटिकल्स, औषध विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी में सरकारी योगदान से भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा।
- भारत को अपने मानव संसाधन को इस प्रकार तैयार करना होगा जिससे कि वैश्विक प्रतिभा के साथ प्रतिस्पर्द्धा में बढ़त मिले, इसके लिए शिक्षा क्षेत्र में अनुसंधान को अनिवार्य करने की आवश्यकता है।

सामान्य अध्ययन पेपर-2

Topic:

- भारत एवं इसके पड़ोसी-संबंध।

Topic:

- द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और/ अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले समझौते।

प्र. नॉलेज डिप्लोमेसी का संछिप्त परिचय देते हुए बताएं कि भारत किस प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, एवं उद्योग के माध्यम से आत्मनिर्भर हो सकता है?

07 सिमलीपाल मुद्दे पर नैतिक मानकों की स्थिति

सन्दर्भ

- हाल ही में सिमलीपाल बायोस्फियर रिजर्व में लगी आग के उपरान्त मीडिया तथा आम जनता के मध्य इस विषय को ज्यादा महत्व न दिया जाना कहीं न कहीं नैतिक मानकों में पतन को प्रदर्शित कर रहा है।

परिचय

- नीतिशास्त्र मानव के जीवन में सही या गलत के निर्णय में सहायता करता है, पर यह वह माध्यम नहीं है जहा प्रत्येक व्यक्ति समान समाधान पर पहुंचे। किसी नैतिक मुद्दे पर निर्णय पर आने के लिए परिस्थितियां भी उत्तरदायी होती हैं। कुछ समय पहले ऑस्ट्रेलिया के बुशफायर अथवा अमेजॉन के जंगलो में लगे आग से हम सभी द्रवित थे भारत का मीडिया भी निरंतर वहां के जन्तुओं, पशुओ तथा पंक्षियों की पीड़ा को बता रहे थे। परन्तु हाल ही में ओडिशा के सिमलीपाल वनो में लगी आग पर मीडिया सहित प्रबुद्ध वर्ग का मौन वर्तमान समय के नैतिक मानकों के परीक्षण के आह्वान करता है।

नैतिक मानकों के स्रोत

- कठिन नैतिक प्रश्नों पर हमें मार्गदर्शन करने के लिए दार्शनिक, धार्मिक शिक्षकों व अन्य चिंतकों ने नीतिशास्त्रीय निर्णयन के लिए कई दृष्टिकोणों को सामने रखा है। मुख्य रूप से नैतिक मुद्दों को हल करने के लिए मुख्यत: पांच अलग-अलग दृष्टिकोण हैं:
  - उपयोगितावाद दृष्टिकोण
  - अधिकार आधारित दृष्टिकोण
  - निष्पक्षता या न्याय का दृष्टिकोण
  - सार्वजानिक भलाई का दृष्टिकोण
  - सद्गुण दृष्टिकोण

उपयोगितावाद दृष्टिकोण

- इसका विकास 19वीं शताब्दी में जेरेमी बेंथम तथा जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार नीतिशास्त्रीय या नीतिपरक कार्रवाई वह है, जो बुराई के ऊपर अच्छाई का सर्वाधिक संतुलन स्थापित करे।

- इस दृष्टिकोण के अनुसार किसी मुद्दों के विश्लेषण के लिए तीन आवश्यक कदम होते हैं।
- सर्वप्रथम कार्रवाई के उपलब्ध विभिन्न विकल्पों की पहचान करनी होती है।
- प्रत्येक कार्रवाई से कौन-कौन प्रभावित होगा तथा प्रत्येक कार्रवाई से क्या-क्या हानि हो सकती है?
- हम उस क्रियाकलाप को चुनेंगे जो सर्वाधिक अच्छाई दे व कम बुराई।
- नीतिपरक कार्रवाई वह है जो सर्वाधिक लोगों के लिए सर्वाधिक अच्छाई उपलब्ध करवाये। यह सिद्धांत यह कहता है कि "किन्ही दो कार्रवाइयों में से सर्वाधिक नीतिपरक वह होगा जो हानि की तुलना में लाभ का सर्वाधिक संतुलन उत्पन्न करे।

अधिकार आधारित दृष्टिकोण

- यह दृष्टिकोण इम्मैनुअल कांट के सिद्धांतों पर आधारित है।
- इस दृष्टिकोण का संबंध व्यक्ति के अधिकारों से है।
- इस दृष्टिकोण में इस बात पर बल दिया कि प्रत्येक व्यक्ति गरिमा व आदर के साथ व्यवहार का अधिकार रखता है। मनुष्य को जो अन्य से अलग करता है, वह केवल यह है कि अपने जीवन के साथ वे क्या करेंगे, उसे स्वतंत्र रूप से चुनने का उनके पास गरिमा आधारित क्षमता है और उनके इस विकल्प का सम्मान किया जाये क्योंकि वह उनका मौलिक नैतिक अधिकार है। मनुष्य कोई वस्तु नहीं है जिसे तोड़ा-मोड़ा जाये।
- वैधानिक अधिकार विधि में संहिताबद्ध है, वहीं नैतिक अधिकार समाज सामान्य रूप से स्वीकृत नैतिक मानकों द्वारा उचित ठहराये जाते हैं। नैतिक रूप से हमेशा फल के बारे में सोचा जाना चाहिए, न कि साधन के बारे में।
- अधिकार, कर्तव्य आरोपित करता है। ये कर्तव्य या तो कुछ करने से रोकता है या कुछ करने की अनुमति प्रदान करता है।
- अधिकार दृष्टिकोण उन वैधानिक दावों पर भी लागू होता है, जिसे हम एक-दूसरे पर करते हैं यथा; जीवन व स्वतंत्रता।

निष्पक्षता या न्याय का दृष्टिकोण

- यह दृष्टिकोण प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तू की शिक्षाओं से उद्धृत है। अरस्तू का कहना था कि समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए और असमान के साथ असमान
- इस दृष्टिकोण के मूल में नैतिक प्रश्न है, कोई कार्रवाई या कदम कितना उचित है?

क्या यह प्रत्येक को समान रूप से व्यवहार करता है या फिर वह पक्षपात या भेदभाव दर्शाता है? पक्षपात, कुछ लोगों को बिना किसी उचित तर्क के फायदा पहुंचाना है। वहीं भेदभाव, उन लोगों पर बोझ डालना है जो उन लोगों से अलग नहीं है जिन पर बोझ नहीं डाला गया है। दोनों अनुचित व अलग है।

सार्वजनिक भलाई का दृष्टिकोण

- यूनानी दार्शनिकों ने ही इस अवधारणा में भी योगदान दिया कि समुदाय में जीवन अपने आप में हितकर है और हमारा कार्य उस सामुदायिक जीवन में योगदान करने वाला होना चाहिये।
- यह दृष्टिकोण सलाह देता है कि समाज का अंतरसंबंधित संबंध नीतिशास्त्रीय तर्क का आधार है और इस प्रकार सभी के प्रति, विशेषकर कमजोर वर्गा के प्रति आदर व दया इस तर्क की आवश्यकताएं हैं।
- यह दृष्टिकोण आम परिस्थितियों के प्रति भी ध्यानाकर्षित करता है जो कि सभी के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। यह विधि की व्यवस्था, प्रभावी पुलिस व अग्निशामक विभाग, स्वास्थ्य देखभाल, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था और यहां तक कि सार्वजनिक मनोरंजन क्षेत्र भी हो सकता है।

सद्गुण दृष्टिकोण

- नीतिशास्त्र का काफी प्राचीन दृष्टिकोण यह है कि नीतिशास्त्रीय कार्यों को कुछ आदर्श सद्गुणों के सुसंगत होना चाहिये जो कि हमारी मानवीयता के पूर्ण विकास के लिए उपलब्ध कराता है। ये सद्गुण स्वभाव व आदते हैं जो हमारे चरित्र के उच्चतम क्षमता तथा सत्य व सुदंर जैसे मूल्यों की ओर से उसी अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं।
- ईमानदारी, साहस, दया, उदारता, सौहार्द्र, प्यार, वफादारी, सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, आत्म नियंत्रण तथा विवेक सद्गुण के उदाहरण हैं।

नीतिशास्त्रीय दृष्टिकोण तथा सिमलीपाल का मुद्दा

- सिमलीपाल की त्रासदी में विभिन्न वर्गों में सौहार्द, जनजीवों के प्रति प्यार, मीडिया की अपने कार्य के प्रति सत्यनिष्ठा का अभाव दिखा है जो इन वर्गों को सद्गुण दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं मानता। सरकार द्वारा तात्कालिक सहायता तथा स्थिति नियंत्रण के लिए किये गए प्रयासों से शासन में ईमानदारी का बोध होता है।
- सिमलीपाल की त्रासदी से जैव विविधता की हानि हो रही है जो पर्यावरण, सतत विकास, मनुष्य के भविष्य, वैश्विक तापन पर नकारात्मक प्रभाव डालेगी इस प्रकार यह सार्वजानिक भलाई का दृष्टिकोण भी नहीं है।
- भारत के इसी प्रबुद्ध वर्ग द्वारा अमेजॉन तथा ऑस्ट्रेलिया बुशफायर मामलों में अपनी संवेदनाएं व्यक्त की गई थीं। सोशल मीडिया, टेलीविजन मीडिया सबने उस मामले को जनता तक पहुंचाया था। परन्तु सिमलीपाल मामले में इसका अभाव देखा गया जो न्याय तथा निष्पक्षता के सिद्धांत का उलंघन करता है।
- अधिकार आधारित दृष्टिकोण के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि जब हम प्रकृति से संसाधन लेकर अपने अधिकार स्वरुप उसका प्रयोग कर रहे हैं तो प्रकृति, वन, वन्य जीवों के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य भी है। परन्तु इस मामले पार अधिकांश सिविल सोसाइटीज शांत रहीं जो नैतिकता के अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उलंघन है।

निष्कर्ष

- वास्तव में इस त्रासदी पर मौन बढ़ती निष्क्रियता तथा गिरती नैतिकता का चित्रण कर रहा है। वास्तव में अब समय आ गया है कि हम अपने नैतिक मानकों का परीक्षण करें।

सामान्य अध्ययन पेपर-4

Topic:

- नीतिशास्त्र तथा मानवीय सह-संबंध: मानवीय क्रियाकलापों में नीतिशास्त्र का सार तत्व, इसके निर्धारक और परिणाम; नीतिशास्त्र के आयाम; निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीतिशास्त्र।

प्र. सिमलीपाल मुद्दे पर मीडिया तथा प्रबुद्धजनों का बर्ताव नैतिकता पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करता है। टिप्पणी करें।

7 महत्वपूर्ण ब्रेन बूस्टर्स

01 ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध के निर्माण की योजना

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में चीन की संसद ने नई पंचवर्षीय योजना (2021-2025) का एक प्रारूप पेश किया, जिसमें उसने ब्रह्मपुत्र नदी (Brahmaputra River) पर बांध बनाने की योजना को मंजूरी दी है। चीन अरुणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयार कर रहा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- चीन की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने राष्ट्रीय आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) को मंजूरी दी। इसमें अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवादास्पद जल विद्युत परियोजना भी शामिल है।
- 14वीं पंचवर्षीय योजना में ब्रह्मपुत्र नदी की निचली धारा पर बांध बनाना शामिल था, जिस पर भारत और बांग्लादेश ने चिंता जताई थी। इसके बावजूद भी एलएसी (LAC) के पास निचले इलाकों में बाँध बनाने के लिए चीनी जलविद्युत कंपनियां लंबे समय से निर्माण प्रस्तावों का इंतजार कर रही हैं।
- चीन ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा पिछले वर्ष नवम्बर में की थी। उस वक्त चीन ने कहा था कि यारलंग जैंगबो के निचले क्षेत्रों में बांध बनाना उसका वैध अधिकार है। चीन ने यह भी कहा था कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के दौरान निचले क्षेत्रों में पड़ने वाले भारत और बांग्लादेश के हितों का ध्यान रखा जाएगा।

3. बांध निर्माण से भारत-बांग्लादेश पर प्रभाव

- इस बांध के बन जाने के बाद भारत, बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों को सूखे और बाढ़ दोनों का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट के नाम पर चीन इस नदी पर जो बांध बनाएगा उससे नदी पर पूरी तरह चीन का नियंत्रण हो जाएगा।
- चीन द्वारा बांध के दरवाजे खोलने एवं बंद करने से पानी का बहाव तेजी से भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों की तरफ आएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम समेत कई राज्यों में बाढ़ आ सकती है।
- ब्रह्मपुत्र को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश के लिए जीवन का आधार माना जाता है और लाखों लोग अपनी आजीविका के लिए इस पर निर्भर हैं।
- भारत और चीन के बीच कोई जल साझाकरण समझौता नहीं हैं फिर भी देखा जाये तो नदी के ऊपर के क्षेत्र में चीन की एक लाभकारी स्थिति में है और इस कारण वह पानी के बहाव को जानबूझकर रोकने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण कर सकता है। ब्रह्मपुत्र के साथ चीन की बांध-निर्माण और जल विभाजन की योजना दोनों पड़ोसियों के बीच तनाव का एक स्रोत है।

4. ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम

- तिब्बत स्थित मानसरोवर झील के पास कैलाश पर्वत के चेमायुंगडुंग (Chemayungdung) ग्लेशियर से से सांगपो नदी निकलती है, जब यह नदी पश्चिमी कैलाश पर्वत के ढाल से नीचे उतरती है तो ब्रह्मपुत्र कहलाती है। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को यारलंग जैंगबो (Yarlung Zangbo) नदी कहा जाता है।
- इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ दिबांग, लोहित, सियांग, बुढ़ी दिहिंग, तीस्ता और धनसरी हैं। ब्रह्मपुत्र नदी अरूणाचल प्रदेश में वृहद् हिमालय को काटकर एक गहरे महाखड्ड (गॉर्ज) का निर्माण करती है, जिसे हम दिहांग गॉर्ज कहते हैं।
- ब्रह्मपुत्र नदी जब अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश की दो सहायक नदियाँ दिबांग नदी और लोहित नदी 'ब्रह्मपुत्र नदी'से मिलती हैं, तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र नदी असम राज्य के समतल घाटी में प्रवेश कर जाती है।
- असम के सदिया से लेकर धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व से पश्चिम की ओर एक रैम्प घाटी में प्रवाहित होती है इस रैम्प घाटी के उत्तर में हिमालय पर्वत तथा दक्षिण में शिलांग का पठार स्थित है।
- सदिया से धुबरी तक प्रवाहित होने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी धुबरी से दक्षिण की ओर अचानक मुड़कर बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है।

02 ट्राइफेड के उपायों से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण

1. चर्चा का कारण

- आदिवासी आबादी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ट्राइफेड द्वारा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण और कौशल विकास हो रहा है।

2. प्रमुख बिन्दु

- आदिवासी महिलाओं के जीवन और आजीविका में सुधार लाने के लिए वन धन विकास केंद्र/ट्राइबल स्टार्ट-अप्स, 'न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और लघु वनोपज (minor forest produce) ने आदिवासियों के पारिस्थितिकी तंत्र पर सकारात्मक असर डाला है।
- वन धन योजना जातीय संग्रहकर्ताओं, वनों पर निर्भर लोगों और घर पर काम करने वाले आदिवासी कारीगरों के लिए रोजगार देने वाले एक स्रोत के रूप में उभरा है। इस कार्यक्रम की खूबसूरती यह है कि यह आदिवासी संग्रहकर्ताओं के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे की सहायता, ऋण तक समय पर पहुंच के साथ-साथ एमएफपी में वैल्यू चेन का विकास सुनिश्चित करती है। इसके अलावा इन मूल्य वर्धित उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होने वाली आमदनी सीधे आदिवासियों को मिलती है।
- देश भर में 1700 से ज्यादा आदिवासी उद्यम स्थापित किए जा चुके हैं, जो इसके तहत लगभग 5.26 लाख आदिवासी संग्रहकर्ताओं को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। इस योजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि लाभ पाने वाले इन आदिवासी संग्रहकर्ताओं में सबसे ज्यादा महिलाएं हैं।

3. मणिपुर मॉडल

- मणिपुर में 77 वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से 25,000 से अधिक आदिवासी संग्रहकर्ता, ज्यादातर महिलाएं, लाभान्वित हुए हैं। महिला संग्रहकर्ताओं को आंवले का रस, एकत्रित करौंदे से कैंडी व जैम बनाना और इसके साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जरूरी मानकों के अनुपालन के बारे में प्रशिक्षित किया गया। उपकरण और अन्य जरूरी उपकरण भी दिये गए हैं और मूल्य संवर्धन पूरे उत्साह से शुरू हो चुका है।
- मणिपुर से सीख लेकर आदिवासियों, और खास तौर पर महिलाओं के प्रशिक्षण और आजीविका में सुधारने के लिए जारी ट्राइफेड के दूसरे उपायों में मध्य प्रदेश के बड़वानी में काम चल रहा है, जहां पर दिसंबर 2020 में बाघ प्रिंट के प्रशिक्षण का दूसरा बैच शुरू हो चुका है। महेश्वरी और चंदेरी की पारंपरिक बुनाई का प्रशिक्षण बहुत जल्द शुरू होने वाला है।
- 200 से अधिक आदिवासी महिला लाभार्थियों की पहचान की गई है। इन स्थानीय आदिवासियों को बाघ प्रिंट, महेश्वरी और चंदेरी पारंपरिक बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि वे नए कौशल को सीखें और अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए उनका उपयोग करें। एक वर्ष की अवधि में लगभग 1000 आदिवासी महिलाओं को बाघ प्रिंट, चंदेरी और महेश्वरी शैलियों में प्रशिक्षित करने के लिए कुल 1.88 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- इसके अलावा, आदिवासी महिला कारीगरों को पूरे देश में ज्यादा से ज्यादा संपर्क में लाने और उनके कौशल व उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाने के लिए, ट्रायफेड उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए रूमा देवी और रीना ढाका जैसे प्रसिद्ध डिजाइनर्स के साथ भी समझौता कर रहा है।

4. ट्राइफेड

- बहु-राज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत पंजीकृत ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1987 में की गई थी। यह सभी राज्यों के आदिवासी लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास की दिशा में काम कर रही है।
- यह मुख्य रूप से दो कार्य करता है पहला-लघु वन उपज विकास, दूसरा खुदरा विपणन एवं विकास। ट्राइफेड का मूल उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किये गए या इनके द्वारा बनाये गए उत्पादों को बाजार में सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है। गेहूं और धान की सरकारी खरीद के लिए ट्राइफेड, भारतीय खाद्य निगम (FCI) के एजेंट और मोटे अनाजों, दालों और तिलहनों की सहकारी खरीद में कृषि एवं सहकारिता विभाग के एजेंट के रूप में काम करता है।

03 वैक्सीन पासपोर्ट

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में इजराइल ने एक प्रमाणन प्रणाली शुरू की है। यह प्रमाणन प्रणाली उन लोगों को कुछ सुविधाओं और इवेंट्स तक पहुंचने की अनुमति देती है, जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है। इसे "वैक्सीन पासपोर्ट" कहा जा रहा है। यह पासपोर्ट देश में जिम, रेस्तरां और होटल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए पहुँच प्रदान करता है।

2. वैक्सीन पासपोर्ट का विचार

- वैक्सीन पासपोर्ट को "टीकाकरण के प्रमाण" के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसे कुछ देशों ने कोविड-19 महामारी से पहले ही अनिवार्य कर दिया है। कोविड-19 महामारी से पहले ही कई अफ्रीकी देशों से अमेरिका या भारत जाने वाले यात्रियों को इस बात का प्रमाण देना होता था कि कि वे पीत ज्वर (yellow fever) जैसे रोगों से बचाव के लिए वैक्सीनेशन कराये हैं या नहीं।
- अधिकांश वैक्सीन पासपोर्ट की परिकल्पना डिजिटल दस्तावेजों के रूप में की गई है। इसका उद्देश्य एक ऐसा यूनिवर्सल टूल डेवलप करना है, ताकि यह पता चल सके कि एक से दूसरे देश में ट्रैवल करने वाले व्यक्ति ने वैक्सीन ली है या नहीं। इसी के तहत वैक्सीन पासपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
- वैक्सीन पासपोर्ट एक तरह से किसी व्यक्ति का हेल्थ कार्ड होगा जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी जानकारी देनी अनिवार्य होंगी। मसलन कोरोना वैक्सीन लगी है या नहीं। कोरोना टेस्ट हुआ है या नहीं, और ये पॉजिटिव है या नेगेटिव आदि। गौरतलब है कि ये वैक्सीन पासपोर्ट विदेशी यात्राओं के दौरान ही नहीं बल्कि किसी सार्वजनिक स्थान, स्टेडियम, दफ्तर, सिनेमा हॉल आदी में एंट्री लेते समय दिखाना भी अनिवार्य होगा। अगर किसी व्यक्ति वैक्सीनेशन हुआ है तो उसे एंट्री दी जाएगी वरना उसे लौटा दिया जाएगा।
- वैक्सीन पासपोर्ट एक और जरूरी काम करेगा, वह है पूरे देश में टीकाकरण रिकॉर्ड को डिजिटल बनाना। हालांकि कुछ देशों ने बायपास क्वारंटाइन नॉर्मस को दरकिनार करने के लिए वैक्सीनशेन के प्रूफ को स्वीकार करना शुरू कर दिया है, वैक्सीन पासपोर्ट का एक सामान्य और यूनिवर्सिली रूप से स्वीकृत संस्करण अभी तक आना बाकी है।

3. वैक्सीन पासपोर्ट से जुड़ी चिंताएँ

- हाल ही में फेसबुक और व्हॉट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आरोप लगे कि इनके इस्तेमाल से यूजर्ट का डेटा लीक हो रहा है। ऐसे में वैक्सीन पासपोर्ट को लेकर सबसे बड़ी चिंता इसकी गोपनीयता को लेकर होगी। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि 'वैक्सीन पासपोर्ट' एक दस्तावेज के रूप में आएगा या इसके लिए कोई एप बनेगी।

4. वैक्सीन पासपोर्ट में WHO की भूमिका

- वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO को वैक्सीन पास्पोर्ट को लेकर अहम रोल निभाना होगा। दरअसल WHO को दुनिया के हर देश से ट्रस्टेड बॉडी या उन संस्थाओं की सूची लेनी होगी जो कोरोना परीक्षण और टीकाकरण का ई-सर्टिफिकेट जारी करेंगी। इसके साथ ही इन संस्थाओं को भी अंतरराष्ट्रीय यात्रा करने वाले लोगों की पूरी जानकारी WHO को देनी होगी।
- इतना ही नहीं WHO के पोर्टल पर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, कोरोना टेस्ट और वैक्सीन पासपोर्ट भी अपलोड करना होगा। डब्लयूएचओ इन डॉक्यूमेंट्स का मिलान तय करेगा कि सर्टिफिकेट और पासपोर्ट ऑथेंटिक हैं या नहीं। इसके बाद यात्री का QR कोड जारी किया जाएगा, जिसे लेकर वह ट्रैवल कर सकेगा।
- हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि, COVID-19 के लिए वैक्सीन पासपोर्ट का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय यात्रा के लिए नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कोरोनोवायरस के टीके दुनिया भर में आसानी से उपलब्ध नहीं हैं।

5. वैक्सीन पासपोर्ट से संभावित लाभ

- दरअसल, कोरोना आने के बाद से कई देशों में इंटरनेशनल ट्रैवलर के आने पर पाबंदी है। इसके आने से दुनिया के टूरिज्म सेक्टर में फिर से बहार आने की उम्मीद है। इसलिए अब यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गनाइजेशन (UNWTO) ने दुनियाभर के देशों से वैक्सीन पासपोर्ट को लागू करने की मांग की है।
- साल 2020 में एयरलाइन उद्योग को लगभग 118.5 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका और साल 2021 में और 38.7 अरब डॉलर का नुकसान होने के अनुमान हैं। यही कारण है कि जल्द से जल्द अर्थव्यवस्था को चलाने की कवायद में ये कोशिशें हो रही हैं।

04 आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल

1. चर्चा का कारण

- घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) "आत्मनिर्भर निवेशक मित्र" नाम के एक समर्पित डिजिटल पोर्टल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।

2. क्या है आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल ?

- यह परियोजना 'इन्वेस्ट इंडिया' एजेंसी के अंतर्गत है। इस पोर्टल में इन्वेस्ट इंडिया पर निवेश प्रोत्साहन और सुविधा से संबंधित एक समर्पित डिजिटल टीम होगी, जो घरेलू निवेशकों को इन्वेस्ट इंडिया के विशेषज्ञों के साथ सीधे जुड़ने या अनुरोध बैठकें करने और अपने निवेश/व्यापार विषय से संबंधित मामलों पर चर्चा करने की सुविधा प्रदान करेगी।
- यह पोर्टल निवेशकों को भारत में उनकी पूरी व्यावसायिक यात्रा के दौरान उन्हें डिजिटल रूप से सहयोग करेगा और उन्हें निवेश के अवसर ढूंढने से लेकर उनके व्यवसाय पर लागू होने वाले प्रोत्साहनों एवं करों, भारत में व्यापार करने के लिए आवश्यक सूचना और सहायता, वित्त पोषण के स्रोत, कच्चे माल की उपलब्धता की जानकारी, प्रशिक्षण, प्रबंधन से जुड़ी जरूरतों और निविदा से संबंधित समस्त जानकारी प्राप्त करने में मदद करेगा।

3. आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल की विशेषताएं

- केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों एवं नई पहलों से संबंधित दैनिक अपडेट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
- इन्वेस्ट इंडिया के विशेषज्ञों के साथ आमने सामने की बैठक और विचार-विमर्श की सुविधा, जोकि घरेलू निवेशकों के लिए पर्याप्त सहूलियत और उनके समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा।
- शंकाओं के निवारण के लिए एआई आधारित चौट बॉट का प्रावधान।
- चौंपियंस पोर्टल, एमएसएमई समाधान, एमएसएमई संपर्क आदि जैसे सूक्ष्मर, लघु एवं मध्यलम उद्यमों (एमएसएमई)से संबंधितसभी एमएसएमई पोर्टलों तक पहुंचने के लिए वन-स्टॉप-शॉप का प्रावधान।
- विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों में प्रोत्साहन एवं योजनाओं का अन्वेषण और उनका एक तुलनात्मक विश्लेषण।
- मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टरों और भूमि की उपलब्धता से संबंधित जानकारी।
- विभिन्न क्षेत्रों, उप-क्षेत्रों और राज्यों में निवेश के अवसरों की जानकारी।
- भारत में व्यावसाय करने की प्रक्रिया की पड़ताल (चरण दर चरण समाधान)।
- भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्कीम से संबंधित सूचना और सहायता।
- भारत में लागू होने वाले कर और कराधान प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी।
- एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलों और चौंबर्स ऑफ कॉमर्स के बी2बी प्लेटफार्मों के बारे में जानकारी।
- केन्द्रीय मंत्रालयों, उद्योग संघों, राज्यों के विभागों जैसे विभिन्न हितधारकों से एकल मंच पर संपर्क।
- भारत सरकार के निविदा पोर्टल से जोड़ते हुए सभी केन्द्रीय और राज्य की निविदाओं के बारे में जानकारी।
- सभी राज्यों की नीतियों, आपके अनुमोदनों, विभागों और प्रमुख अधिकारियों आदि के बारे में विस्तृत जानकारी।

4. "इन्वेस्ट इंडिया" के बारे में

- इन्वेस्ट इंडिया एजेंसी को 2009 में भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के तहत एक गैर-लाभकारी उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था।
- राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एवं सुविधा एजेंसी के रूप में, इन्वेस्ट इंडिया भारत में सतत निवेश को संभव बनाने के उद्देश्य से क्षेत्र विशेष के निवेशकों को लक्षित करने और नई साझेदारी के विकास पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- सतत निवेश पर ध्यान केन्द्रित करने वाली एक कोर टीम के अलावा, इन्वेस्ट इंडिया व्यापक निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ भी साझेदारी करता है।
- इन्वेस्ट इंडिया क्षमता निर्माण के साथ-साथ निवेश को लक्षित करने, उसका संवर्धन करने और उसे सहूलियत प्रदान करने के क्षेत्र में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं का समावेश करने के लिए भी कई भारतीय राज्यों के साथ मिलकर सक्रिय रूप से काम करता है।

05 इसरो द्वारा साउंडिंग रॉकेट (RH-560) का प्रक्षेपण

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (SDSC) के श्रीहरिकोटा रेंज (SHAR) से साउंडिंग रॉकेट (RH-560) को लांच किया है।
- इसके साथ ही इसरो की व्यावसायिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लि. (NSIL) ने अगले पांच साल में करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना बनायीं है।

2. साउंडिंग रॉकेट (RH-560) से संबंधित मुख्य तथ्य

- साउंडिंग रॉकेट के माध्यम से तटस्थ हवाओं (न्यूट्रल विंड) और प्लाज्मा गतिशीलता (प्लाज्मा डायनामिक्स) में व्यवहारिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाएगा।
- इसरो के अनुसार ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों की जांच के लिए और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यह साउंडिंग रॉकेट एक या दो चरण वाले ठोस रॉकेट हैं।

3. क्या होते है साउंडिंग रॉकेट

- साउंडिंग रॉकेट (परिज्ञापी राकेट) एक या दो चरण वाले ठोस नोदक राकेट हैं जिनका अंतरिक्ष अनुसंधान हेतु ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु प्रयोग किया जाता है। ये प्रक्षेपण यानों एवं उपग्रहों के प्रयोग हेतु वांछित नए अवयवों एवं उपप्रणालियों के प्रारंभिक जांच या प्रमाणित करने के लिए आसान एवं वहनीय परीक्षण प्लेटफॉर्म के रूप में काम करते हैं।
- भारत के द्वारा विकसित किये गए प्रारंभिक साउंडिंग रॉकेट (परिज्ञापी राकेट) RH-75, RH-100 और RH-125 है। वर्तमान में इसरो के पास कार्यरत साउंडिंग रॉकेट (Sounding Rockets) RH-200, RH-300-Mk-II, RH-560-MK-II है।

4. न्यू स्पेस इंडिया की 10, 000 करोड़ रुपये का निवेश योजना

- हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की व्यावसायिक इकाई न्यू स्पेस इंडिया लि. (NSIL) ने कहा है कि अंतरिक्ष कामकाज को विस्तारित करने के लिए अगले पांच साल में करीब 10,000 करोड़ रुपये का निवेश करने की योजना है।
- इस दौरान उसे करीब 300 अतिरिक्त वैज्ञानिकों कि जरूरत भी होगी।
- NSIL के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक जी नारायणन के कहा है कि NSIL इक्विटी और कर्ज के द्वारा 2,000 करोड़ रुपये वार्षिक पूंजी इकट्ठा करेगी।
- ज्ञातव्य है कि वर्तमान में NSIL की अधिकृत पूंजी 100 करोड़ रुपये है और 2021-22 के केंद्रीय बजट में कंपनी के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

5. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL)

- 6 मार्च 2019 को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का आधिकारिक रूप से बंगलूरु में उद्घाटन किया गया था। विदित हो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की एक वाणिज्यिक शाखा है।
- NSIL का उद्देश्य भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों में निवेश को बढ़ाना है। इसके लिए NSIL अंतरिक्ष से संबंधित सभी गतिविधियों को एक मंच पर लाता है तथा अंतरिक्ष संबंधी प्रौद्योगिकियों में निजी उद्यमशीलता को आकर्षित करता है।
- ज्ञातव्य है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अतिरिक्त इसरो कि एक और वाणिज्यिक शाखा "एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन" है जो इसरो के विदेशी उपग्रहों के वाणिज्यिक प्रक्षेपण की सुविधा हेतु स्थापित किया गया था।
- भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी "भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान (ISRO)" की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी और इसका मुख्यालय बंगलुरू में है। यह अपने विभिन्न केंद्रों के माध्यम से देशव्यापी संचालित होता है।

06 क्वाड शिखर सम्मेलन 2021

1. चर्चा का कारण

- भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं की क्वाड ग्रुप का पहला वर्चुअल शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में किया गया।
- इन चार देशों की सदस्यता वाले क्वाड समूह के नेताओं की बैठक में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षित, सस्ते टीके निर्यात करने में भारत की निर्माण क्षमता बढ़ाने का मुद्दा अहम रहा।

2. शिखर सम्मेलन-2021 से संबन्धित तथ्य

- भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने क्वाड के इस शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन, वैक्सीन और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों को क्वाड के द्वारा सकारात्मक ढंग से कवर किया गया है जिससे क्वाड वैश्विक कल्याण के लिए एक शक्ति बन गया है। साथ ही प्रधानमंत्री ने क्वाड नेताओं को स्थिर, धर्मनिरपेक्ष और समृद्ध इंडो-पेसिफिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रशंसा की।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि क्वाड 21 वीं सदी में इंडो-पेसिफिक दुनिया के भाग्य/ नियति को आकार देगा और क्वाड की यह साझेदारी स्थिरता, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाएगा।
- वही संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने यह आश्वासन दिया कि अमेरिका इंडो-पेसिफिक क्षेत्र में स्थिरता बढ़ाने के लिए क्वाड नेताओं और क्षेत्र के अन्य सहयोगी देशों के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।
- इसके साथ ही क्वाड नेताओं द्वारा भारत के लद्दाख क्षेत्र में चीन की मौजूदगी का मुद्दा भी उठाया गया। विदित हो कि हाल ही में भारत और चीन के बीच LAC पर सैनिकों के पीछे हटने को लेकर कूटनीतिक स्तर की 21 वीं मीटिंग हुई थी।

3. क्वाड क्या है?

- क्वाड का पूर्ण रूप क्वाड्रीलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) है।
- यह 4 देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका का बहुपक्षीय समझौता है।
- इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र में शांति की स्थापना और शक्ति का संतुलन है।
- साल 2007 में एशिया-प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के उद्देश्य से क्वाड का गठन किया गया था।
- जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो एबी ने क्वाड का प्रस्ताव रखा था, जिसे भारत, अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया।
- प्रारम्भ में यह इंडो-पैसिफिक स्तर पर काम कर रहा था ताकि समुद्री रास्तों से व्यापार आसान हो सके।
- वर्तमान में अब ये व्यापार के साथ-साथ सैनिक बेस को मजबूती देने पर ज्यादा ध्यान दे रहा है ताकि शक्ति संतुलन बनाए रखा जा सके।
- क्वाड के तहत प्रशांत महासागर, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में फैले विशाल नेटवर्क को जापान और भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

07 कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020

1. चर्चा का कारण

- हाल ही में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर (Council on Energy, Environment and Water-CEEW) के द्वारा शहरी मलिन बस्तियों/झुग्गियों में एलपीजी के प्रयोग से संबंधित एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

2. कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020 से जुड़े मुख्य तथ्य

- कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020 के तहत अध्ययन में 6 राज्यों के 58 जिलों में शामिल 83 मलीन बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया। उल्लेखनीय है कि इन 6 राज्यों में की शहरी मलिन बस्तियों में भारत की कुल स्लम आबादी का एक चौथाई हिस्सा निवास करता है। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में झुग्गियों में निवास कर रहे लोगों की संख्या 13.7 मिलियन से भी अधिक है।
- अध्ययन में यह पाया गया कि 16 फीसदी घरों में अभी भी पारंपरिक ईंधन (लकड़ी, गोबर के उपले, कृषि अवशेष, लकड़ी का कोयला और मिट्टी के तेल/केरोसिन आयल) का प्रयोग प्राथमिक ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके साथ ही एक तिहाई से ज्यादा लोग एलपीजी के साथ-साथ इन पारंपरिक ईंधन का प्रयोग कर रहे हैं। पारंपरिक ईंधन का प्रयोग इनडोर वातावरण यानी घरों के अंदर के वायु प्रदूषण के जोखिम को बढ़ा देता है।
- इसके साथ ही अध्ययन में यह भी तथ्य सामने आया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कारण पिछले एक दशक में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है लेकिन मुख्य ईंधन के रूप में एलपीजी का प्रयोग झुग्गियों में मात्र आधे ही घरों तक सीमित है।
- इस अध्ययन के निष्कर्ष इस तथ्य को सत्यापित करते है कि गरीबी और ऊर्जा तक पहुंच में सीधा संबंध होता है। एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद प्रदूषणकारी ईंधनों के निरंतर उपयोग से यह तथ्य रेखांकित होता है कि इनमें से अधिकांश घर एलपीजी के खर्च को वहन करने में सक्षम नहीं है।
- इस अध्ययन में प्रमुख लेखिका के रूप में शामिल शाली झा ने कहा है कि " शहरी झुग्गियों में एक चौथाई से भी कम घरों में उज्जवला कनेक्शन है। अतः झुग्गियों में सरकार के द्वारा उज्जवला योजना के तहत दिए जाने वाले एलपीजी कनेक्शनों की मात्रा में वृद्धि करना चाहिए।

3. काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर (CEEW) के बारे में

- काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर (Council on Energy, Environment and Water-CEEW) एशिया के अग्रणी नॉट-फॉर-प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च संस्थानों में से एक है। एक अग्रणी नीति अनुसंधान संस्थान और थिंक टैंक के रूप में स्थापित इस संस्था का मुख्यालय दिल्ली, भारत में स्थित है।

4. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के बारे में

- केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) का शुभारंभ किया था और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने तेल विपणन कंपनियां जैसे-आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल के देश भर में फैले अपने वितरकों के नेटवर्क के माध्यम से इसे लागू कर रहा है।
- पीएमयूवाई के माध्यम से, प्रारंभ में, 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को 31 मार्च, 2019 तक बिना किसी जमा राशि के मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। अपने प्रारंभ के 28 महीनों के ही रिकार्ड समय में, पीएमयूवाई ने 5 करोड़ बीपीएल परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने का प्रारंभिक लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस योजना की अपार सफलता को देखते हुए 12,800 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन के साथ 8 करोड़ का लक्ष्य संशोधित किया गया जिसे पिछले वर्ष ही प्राप्त कर लिया गया।
- पीएमयूवाई को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन्डोर स्वास्थ्य प्रदूषण दूर करने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन माना है, जिसके कारण देश में एक वर्ष में लगभग 10 लाख मौतें होती थी।
- पीएमयूवाई का लक्ष्य गरीब परिवारों को खाना पकाने के लिए स्वच्छ-ईंधन प्रदान करना है, इससे इन परिवारों को इनडोर (अंतरीय) वायु प्रदूषण से जुड़े विभिन्न स्वास्थ्य खतरों से निजात मिली है और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार आए हैं। पीएमयूवाई को सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में लागू किया गया है।
- लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना सूची -2011 के आधार पर किया गया है और ऐसे मामलों में जहां नाम एसईसीसी सूची के तहत शामिल नहीं हैं तो ऐसे अन्य लाभार्थियों की पहचान सात श्रेणियों-एससी/एसटी, पीएमएवाई (ग्रामीण) के लाभार्थियों, अंत्योदय अन्न योजना, सबसे पिछड़ा वर्ग, वन निवासियों, द्वीप/नदी द्वीप समूह के निवासियों और चाय बागान और पूर्व-चाय बागान जनजातियों के आधार पर की जाती है।

7 वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर (ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

01 ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध के निर्माण की योजना

प्र. 'ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन द्वारा बांध के निर्माण की योजना' के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. चीन की शीर्ष विधायिका 'नेशनल पीपुल्स कांग्रेस' (NPC) ने अपने 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021-2025) को मंजूरी दी है।
2. 14वीं योजना के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश सीमा के निकट तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर विवादास्पद जल विद्युत परियोजना भी शामिल है।
3. चीन ने इस परियोजना की घोषणा पिछले वर्ष नवंबर में की थी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में चीन की संसद में नई पंचवर्षीय योजना (2021-2025) का एक प्रारूप पेश किया गया जिसमें चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बाँध बनाने की योजना को मंजूरी दी है। उल्लेखनीय है कि चीन अरूणाचल प्रदेश से सटे तिब्बत के इलाके में ब्रह्मपुत्र नदी पर हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी कर रहा है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं अत: उत्तर (c) होगा।

02 ट्राइफेड के उपायों से आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण

प्र. ट्राइफेड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में 1977 में की गई थी।
2. इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासी लोगों द्वारा जंगल से एकत्र किए गए/बनाए गए उत्पादों को सही दामों पर बिकवाने की व्यवस्था करना है।
3. ट्राइफेड मुख्य रूप से दो कार्य करता है, पहला लघु वन उपज विकास तथा दूसरा खुदरा विपणन और विकास।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3

(c) 1, 2 और 3 (d) केवल 1 और 2

उत्तर: (b)

व्याख्या: आदिवासी आबादी को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ट्राइफेड द्वारा आदिवासी महिलाओं का सशक्तिकरण और कौशल विकास किया जा रहा है। ज्ञातव्य है कि ट्राइफेड की स्थापना जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में वर्ष 1987 में की गई थी (न कि 1977 में) इस प्रकार कथन 1 गलत है। ट्राइफेड के संदर्भ में शेष दो कथन सही हैं। अत: उत्तर (b) होगा।

03 वैक्सीन पासपोर्ट

प्र. वैक्सीन पासपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. वैक्सीन पासपोर्ट एक तरह से किसी व्यक्ति का हेल्थ कार्ड होगा जिसमें कोरोना वैक्सीनेशन से जुड़ी सभी जानकारी देनी अनिवार्य होगी।
2. अधिकांश वैक्सीन पासपोर्ट की परिकल्पना डिजिटल दस्तावेजों के रूप में की गई है।
3. वैक्सीन पासपोर्ट को 'टीकाकरण के प्रमाण' के रूप में डिजाइन किया गया है जिसे कुछ देशों ने कोविड-19 महामारी से पहले ही अनिवार्य कर दिया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2

(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में इजराइल ने एक प्रमाणन प्रणाली शुरू की है। यह प्रावधान प्रणाली उन लोगों को कुछ सुविधाओं और इवेंट्स तक पहुँचने की अनुमति देती है, जिन्हें कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाया गया है। इसे वैक्सीन पासपोर्ट कहा जा रहा है। वैक्सीन पासपोर्ट के संदर्भ में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

04 आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल

प्र. आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. केन्द्र और राज्य सरकार की नीतियों एवं नई पहलों से संबंधित दैनिक अपडेट पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
2. शंकाओं के निवारण के लिए एआई आधारित चैट बॉट का प्रावधान किया गया है।
3. मैन्युफैक्चिरिंग कलस्टरों और भूमि की उपलब्धता से संबंधित जानकारी उपलब्ध होती है।

उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई

उत्तर: (c)

व्याख्या : घरेलू निवेश को बढ़ावा देने के प्रयासों को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग 'आत्मनिर्भर निवेशक मित्र' नाम के एक समर्पित डिजिटल पोर्टल को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल के संदर्भ में उपरोक्त सही है। अत: उत्तर (c) होगा।

05 इसरो द्वारा साउंडिंग रॉकेट (RH-560) का प्रक्षेपण

प्र. यूरोपीय संघ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. भारत का लगभग 37% व्यापारिक निर्यात यूरोपीय संघ को किया जाता है।
2. निर्यात क्षमता वाले शीर्ष उत्पादों में रत्न, आभूषण, रसायन और मशीनरी शामिल है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 (b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (c)

व्याख्या: भारत का लगभग 37% व्यापारिक निर्यात यूरोपीय संघ को किया जाता है। निर्यात क्षमता वाले शीर्ष उत्पादों में रत्न, आभूषण, रसायन और मशीनरी शामिल है। इस तरह दोनों कथन सही है, अत: उत्तर (c) होगा।

06 क्वाड शिखर सम्मेलन 2021

प्र. क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. क्वाड का पूर्ण रूप क्वाड्रीलैटरल डायलॉग (चतुर्भुज सुरक्षा संवाद) है।
2. यह 3 देशों भारत जापान तथा आस्ट्रेलिया का एकपक्षीय समझौता है।
3. इसका उद्देश्य एशिया-प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के उद्देश्य से क्वाड का गठन किया गया था।
4. वर्ष 2009 में एशिया-प्रशांत महासागर में चीन के बढ़ते वर्चस्व को कम करने के उद्देश्य से क्वाड का गठन किया गया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 4
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (d)

व्याख्या: हाल ही में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया के शीर्ष नेताओं की क्वाड ग्रुप का पहला वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वाड 4 देशों का बहुपक्षीय समझौता है न कि 3 देशों का एक पक्षीय समझौता। इस प्रकार कथन 2 गलत है। ज्ञातव्य है कि क्वाड की स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी न कि 2009 में। इस प्रकार कथन 4 भी गलत है। इस संदर्भ में कथन 1 और 3 सही है। अत: उत्तर (a) होगा।

07 कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे 2020

प्र. कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे-2020 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. कुकिंग एनर्जी एक्सेस सर्वे-2020 के तहत अध्ययन में 6 राज्यों के 58 जिलों में शामिल 83 मलीन बस्तियों का सर्वेक्षण किया गया।
2. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में झुग्गियों में निवास कर रहे लोगों की संख्या 13.7 मिलियन से भी अधिक है।
3. अध्ययन में यह भी पाया गया है कि 16 फीसदी घरों में अभी भी पारंपरिक ईंधन का प्रयोग प्राथमिक रूप से किया जाता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3
(c) 1, 2 और 3 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वॉटर के द्वारा शहरी मलिन बस्तियों/झुग्गियों में एलपीजी के प्रयोग से संबंधित एक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। इस संदर्भ में उपर्युक्त सभी कथन सही हैं। अत: उत्तर (c) होगा।

7 महत्वपूर्ण खबरें

01 कामुती सौर ऊर्जा परियोजना ने प्राप्त की जल सकारात्मक सयंत्र की उपलब्धि

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (AGEL) द्वारा संचालित तमिलनाडु में कामुती सोलर प्लांट जल सकारात्मक (Water Positive) की स्थिति में आ गया है।
- संयंत्र को जल सकारात्मक बनाने के लिए, कंपनी ने सेंगप्पडाई, पुदुकोट्टई और थाथाकुलम के पड़ोसी गांवों में सामुदायिक तालाबों से गाद निकालकर उसमे रेन हार्वेस्टिंग (Rainwater Harvesting) के द्वारा अतिरिक्त जल के संचयन क्षमता का विकास किया है।

क्या होता है जल सकारात्मकता (Water Positivity)?

- किसी भी कंपनी/संयंत्र को तब जल सकारात्मकता की स्थिति प्राप्त हो जाती है जब वह खपत किये जा रहे जल की तुलना में उससे अधिक पानी का पुनर्चक्रण कर लेती है।
- DNV सर्टिफिकेशन के अनुसार, प्लांट ने 52,982 m3 का वाटर क्रेडिट बनाया, जो कि प्लांट द्वारा वर्ष 2020 में हुए जल की खपत से कहीं ज्यादा है। ध्यातव्य है कि DNV, एक स्वतंत्र वैश्विक मूल्यांकन और प्रमाणन एजेंसी है।

कामुती सौर ऊर्जा परियोजना के बारे में

- 648 MW का कामुती सौर ऊर्जा परियोजना तमिलनाडु के कामुती में कार्यरत विश्व की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओ मे से एक है। इसका निर्माण अडाणी पॉवर ने किया है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य में मदुरई से 90 किमी दूर, रामनाथपुरम जिले के कामुथी में 2,500 एकड़ (10 वर्ग किमी) के क्षेत्र में फैला एक फोटोवोल्टिक पावर स्टेशन है।
- एक ही स्थान पर 648 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ, यह 2,500 एकड़ में फैले दुनिया के सबसे बड़े एकल स्थान सौर परियोजनाओं में से एक है। कामुती सौर ऊर्जा संयंत्र में उत्पन्न बिजली 2.65 लाख घरों को स्वच्छ हरित बिजली प्रदान करती है।

02 नासा–इसरो सिंथेटिक एपर्चर

चर्चा में क्यों?

- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट मिशन के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) विकसित किया है, जो बेहद उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें लेने में सक्षम है।

नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार (NISAR) के बारे में

- नासा-इसरो सिंथेटिक एपर्चर (NISAR) पृथ्वी की सतह के निरीक्षण का संयुक्त मिशन है।
- नासा के अनुसार निसार, रडार की दो भिन्न आवृत्तियों (एल और एस बैंड) का प्रयोग करने वाला पहला उपग्रह अभियान होगा। इससे पृथ्वी की सतह पर एक सेंटीमीटर से भी कम दूरी में होने वाले बदलाव को मापा जा सकेगा।
- L-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) के द्वारा जीपीएस रिसीवर, सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर और पेलोड डाटा सबसिस्टम मुहैया हो सकेगा।
- S-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) के द्वारा लॉन्च व्हीकल उपलब्ध होगा।

- इसरो के अनुसार निसार की सहायता से पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव से लेकर बर्फ के पिघलने और भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी और भूस्खलन जैसी आपदाओं की प्रक्रिया को समझने में आसानी होगी।
- ज्ञातव्य है कि S-बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) पेलोड को 4 मार्च, 2021 को अंतरिक्ष विभाग और इसरो अध्यक्ष के. सिवन के सचिव द्वारा हरी झंडी दिखाई गयी थी
- इस अवसर पर के. सिवन के कहा कि नासा द्वारा एस-बैंड और एल-बैंड राडार को एकीकृत किया जाएगा। इस एकीकृत मॉड्यूल कि मदद से 2022 के अंत तक पूरा उपग्रह तैयार हो जाएगा। 2023 के प्रारम्भिक महीनों में NISAR को लॉच करने का लक्ष्य रखा गया है।
- उल्लेखनीय है कि इस परियोजना की साझेदारी पर नासा और इसरो के बीच 30 सितंबर, 2014 को हस्ताक्षर हुआ था।

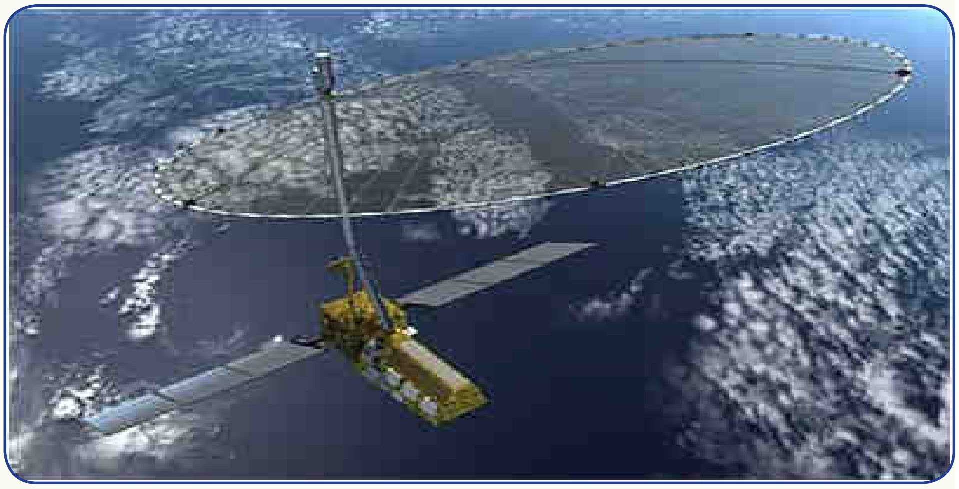

इसरो-नासा सहयोग

- नासा इस मिशन के लिए सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) प्रदान कर रहा है। उल्लेखनीय है कि यह रडार अंधेरे और बादलों में प्रवेश करने योग्य है जो निसार को मौसम की किसी भी स्थिति में सूचना प्रदान करेगा।
- सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) एक परिष्कृत सूचना-प्रसंस्करण तकनीक है जिसका उपयोग हाई रिजॉल्यूशन इमेज का उत्पादन करने के लिए किया जाता है। यह जीपीएस रिसीवर, विज्ञान डेटा, पेलोड डेटा सबसिस्टम और एक सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर के लिए एक उच्च दर संचार उपतंत्र है।

03 पीएम केयर्स फंड को 'राज्य' घोषित करने की याचिका

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने 'प्रधानमंत्री के आपात स्थिति में नागरिक सहायता और राहत कोष' (पीएम केयर्स फंड) को संविधान के तहत 'राज्य' घोषित करने की याचिका पर सुनवाई करने हेतु तैयार हो गया है।
- उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के द्वारा पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने हेतु संविधान के तहत इसे 'राज्य' घोषित करने की मांग की गई है।

पृष्ठभूमि

- एक आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय से पीएम केयर्स फंड में दिए गए दान का विवरण प्राप्त करने हेतु आरटीआई प्रस्तुत किया गया था। उल्लेखनीय है कि पीएम केयर्स फंड का प्रबंधन प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा किया जाता है।
- आरटीआई का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय से यह जानकारी दी गई कि "वह पीएम केयर में प्राप्त योगदान का विवरण नहीं दे सकते क्योंकि यह एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है अत: यह आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आता।"
- इसके उपरांत आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा न्यायालय में इसे 'राज्य' घोषित करने की याचिका प्रस्तुत की गई।
- आपको बता दें उपरोक्त आरटीआई कार्यकर्ता ने पीएम केयर्स फंड के संदर्भ में एक और याचिका दाखिल किया था जो न्यायालय के समक्ष लंबित है। इस याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा पीएम केयर्स फंड को 'सार्वजनिक प्राधिकार' घोषित करने की मांग की गई है।
- अब दिल्ली उच्च न्यायालय उपरोक्त दोनों याचिकाओं की एक साथ सुनवाई करेगा।

पीएम-केयर्स फंड के बारे में

- कोविड-19 महामारी जैसी किसी भी तरह की आपातकालीन या संकट की स्थिति से निपटने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ एक समर्पित राष्ट्रीय निधि की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और उससे प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए 'आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)' के नाम से एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया गया है।

- प्रधानमंत्री, PM CARES कोष के पदेन अध्यक्ष और भारत सरकार के रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, निधि के पदेन ट्रस्टी होते हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष (प्रधानमंत्री) के पास 3 ट्रस्टीज को बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में नामित करने की शक्ति होगी, जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। ट्रस्टी नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति निशुल्क रूप से कार्य करेगा।
- पीएम-केयर्स फंड में दानदी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100 फीसदी छूट मिलेगी। यह राहत इनकम टैक्सो कानून के सेक्शिन 80जी के तहत मिलेगी। पीएम-केयर्स फंड में दान भी कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (CSR) व्यय के रूप में गिना जाएगा। वहीं पीएम केयर्स फंड को भी FCRA के तहत छूट मिली है और विदेशों से दान प्राप्त करने के लिए एक अलग खाता खोला गया है। इससे विदेशों में स्थित व्यक्ति और संगठन पीएम केयर्स फंड में दान दे सकते हैं। यह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) की ही तरह है। पीएमएनआरएफ को 2011 से एक सार्वजनिक ट्रस्ट के रूप में विदेशी योगदान भी मिला है।

सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई- RTI) कानून के बारे में

- आरटीआई एक्ट, 2005 भारत सरकार का एक कानून है, जिसका मकसद नागरिकों को सूचना का अधिकार उपलब्ध करना है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DoPT सूचना का अधिकार और केंद्रीय सूचना आयोग का नोडल विभाग है।
- इस कानून के तहत भारत का कोई भी नागरिक किसी भी सरकारी अथॉरिटी से सूचना माँग सकता है। संबंधित अथॉरिटी को 30 दिनों के भीतर नागरिक को जानकारी उपलब्ध करानी होती है।
- अगर मांगी गई सूचना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ी है तो ऐसी सूचना को 48 घंटे के भीतर ही उपलब्ध करना होता है।
- तय समय सीमा में सूचना न पाने जैसी स्थिति में स्थानीय से लेकर राज्य और केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की जा सकती है।
- अगर कोई ऐसी सूचना मांगी गई हो जिससे देश की संप्रभुता, एकता और अखण्डता पर गलत असर पड़े, तो ऐसे में सूचना देने से इनकार किया जा सकता है।

आरटीआई कानून को लागू कराने के लिए मशीनरी

- आरटीआई कानून के तहत केंद्र स्तर पर एक केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है।
- इस आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 या 10 से कम सूचना आयुक्त होते हैं।
- इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- इसी तर्ज पर, राज्य स्तर पर भी एक राज्य सूचना आयोग की व्यवस्था की गई है।
- सभी संवैधानिक संस्थाएँ और संसद या राज्य विधानसभा के कानूनों के तहत बनाये गए संगठन आरटीआई के दायरे में आते हैं।

04 प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक 'सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड' के रूप में 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' के बारे में

- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त अधिनियम 2007 के सेक्सन 136 बी के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त होने वाली राशि से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक 'सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड' के रूप में 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' (पीएमएसएसएन) बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि' से संबंधित अन्य मुख्य तथ्य निम्नलिखित है-

1. सार्वजनिक खाते में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक 'सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड' की स्थापना

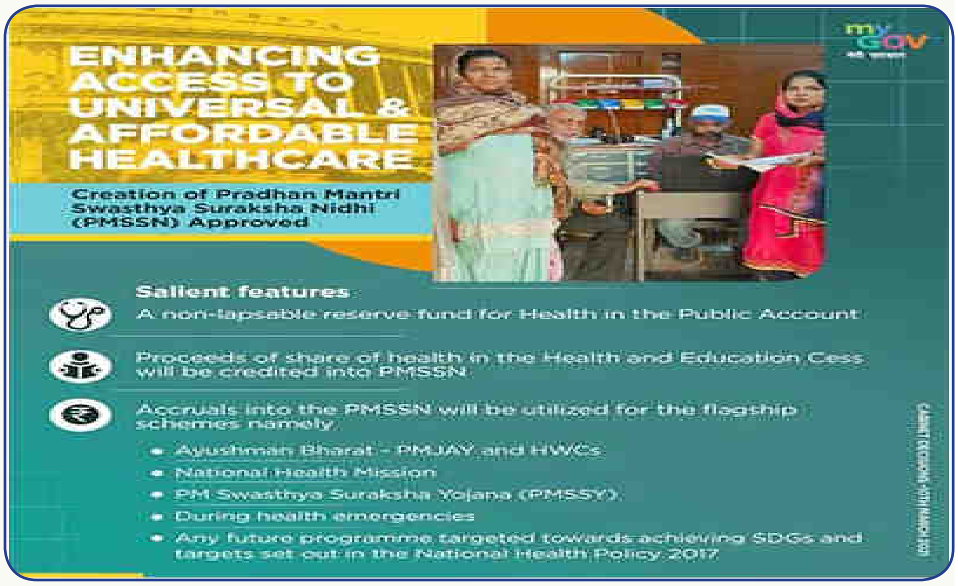

2. स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश पीएमएसएसएन में भेजा जाएगा।
3. पीएमएसएसएन में भेजी गई इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की इन महत्वपूर्ण योजनाओं में किया जाएगा।

- आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई)
- आयुष्मान भारत-स्वास्थ्य एवं देखभाल केंद्र (एबी-एचडब्ल्यूसी)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

- प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

(पीएमएसएसवाई)

- स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में आपातकाल एवं आकस्मिक विपत्ति काल में तैयारी एवं प्रतिक्रिया
- कोई भी अन्य भावी कार्यक्रम/योजना जिसका लक्ष्य एसडीजी की दिशा में प्रगति हासिल करना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करना हो
- पीएमएसएसएन को लागू करने और उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी।
- किसी भी वित्तीय वर्ष में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की उक्त योजनाओं का व्यय प्रारंभिक तौर पर पीएमएसएसएन से लिया जाएगा और बाद में सकल बजट सहायता (ग्रॉस बजटरी स्पोर्ट) से लिया जाएगा।

लाभ

- इसके मुख्य लाभ यह होंगे कि तय संसाधनों की उपलब्धता के जरिए सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी।
- इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिए तय राशि समाप्त (लैप्स) नहीं होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश के मायने

- संशोधित विकास निष्कर्षों को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। आर्थिक दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य उत्पादकता में सुधार करता है और असामयिक मौत, लम्बे समय तक चलने वाली अपंगता और जल्द अवकाश लेने से होने वाले नुकसान को कम करता है।
- स्वास्थ्य और पोषण सीधे तौर पर पठन-पाठन की उपलब्धियों पर असर डालता है और इसका उत्पादकता और आय पर भी प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य निष्कर्ष पूरी तरह स्वास्थ्य क्षेत्र में किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय पर निर्भर करते हैं।
- आबादी की जीवन आकांक्षा के एक अतिरिक्त वर्ष बढ़ने से सकल घरेलू उत्पाद में प्रति व्यक्ति 4 प्रतिशत की वृद्धि होती है।
- स्वास्थ्य में निवेश से लाखो नौकरियां सृजित होती हैं, खासतौर से महिलाओं के लिए, क्योंकि स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जरूरत बढ़ने से उनके लिए नौकरियां बढ़ती हैं।
- 2018 के बजट भाषण में वित्त मंत्री ने आयुष्मान भारत योजना की घोषणा करते हुए मौजूदा 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर के स्थान पर 4 प्रतिशत स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लगाने की घोषणा की थी।

05 यूरोपीय संघ का कैटालोनिया पर निर्णय

- यूरोपीय संघ के सदस्य स्पेन का भाग कैटालोनिया लंबे समय से स्पेन से पृथक होकर एक नए देश के रूप में मान्यता चाहता है जिसके लिए समय समय पर जनमत संग्रह का भी सहारा लिया गया । कैटालोनिया को एक नए देश के रूप में स्थापित करने का प्रयास करने वाले अलगाववादियों के बारे में यूरोपीय संघ ने हाल में एक अहम फैसला किया है। यूरोपीय संघ की संसद ने हाल ही में मतदान कर स्पेन के कैटालोनिया क्षेत्र के पूर्व राष्ट्रपति कार्ल्स पुइगडेमोंट और उनके दो सहयोगियों को दिया गया संरक्षण समाप्त कर दिया है जिससे इन अलगाववादियों के प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

- पूर्व राष्ट्रपति को दी गई उन्मुक्ति को समाप्त करने हेतु किए गए प्रस्ताव पर यूरोपीय संसद के 400 सांसदों ने पक्ष में, जबकि 248 ने इसके विरोध में मतदान किया। वहीं, 45 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया था।
- गौरतलब है कि जब स्पेन में कैटालोनिया को एक पृथक देश के रूप में स्थापित करने के लिए जनमत संग्रह किया गया था उसी के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्टूबर 2017 में कार्ल्स और उनके कई सहयोगी भाग कर बेल्जियम चले गये थे। स्पेन की सरकार ने इस जनमत संग्रह को अवैध करार दिया था।
- यूरोपीय संघ नहीं चाहता की किसी भी तरह से स्पेन की अखंडता के लिए कोई चुनौती पैदा हो । लेकिन हाल में स्पेन के कैटेलोनिया प्रांत में हुए चुनाव में आजादी की समर्थक पार्टियों की सीटों में खासा इजाफा हुआ है। कोरोना महामारी के बीच हुए इस प्रांतीय चुनाव में सिर्फ 53 फीसदी मतदाताओं ने वोट डाले। चुनाव अभियान के दौरान कोरोना महामारी के साथ-साथ आजादी का मुद्दा छाया रहा था। इस चुनाव में धुर दक्षिणपंथी वॉक्स पार्टी को पहली बार इस प्रांत में सीट मिली। इसे मध्यमार्गी पार्टियों के लिए एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है।
- कैटालोनिया प्रांत में यह पहली बार हुआ, जब आजादी समर्थक पार्टियों ने आधे से ज्यादा वोट हासिल कर लिए। उन्हें 51 फीसदी वोट मिले हैं। 2017 में हुए चुनाव में इन पार्टियों

को लगभग 47.5 फीसदी वोट मिले थे। ताजा नतीजे के आधार पर 135 सदस्यीय प्रांतीय संसद में इन पार्टियों को 74 सीटें मिली हैं।

- कैटालोनिया में निर्वाचन इसलिए कराना पड़ा है, क्योंकि सितंबर 2020 में कैटेलोनिया के राष्ट्रपति क्विम तोरा को उनके पद पर बने रहने से प्रतिबंधित कर दिया गया। उन पर आरोप था कि उन्होंने कैटेलोनिया की आजादी के प्रतीक चिह्न को सरकारी इमारतों पर लगवाया है। तोरा अलगाववादी नेता रहे हैं। लेकिन अब अलगाववादियों को पहले से भी ज्यादा समर्थन मिल गया है। इससे स्पेन की एकता के लिए नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। 75 लाख की आबादी वाले कैटेलोनिया की राजधानी बार्सलोना है।

कैटेलोनिया का इतिहास

- कैटालोनिया स्पेन के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में शामिल रहा है। कैटेलोनिया का करीब एक हजार साल पुराना इतिहास है। स्पेन में गृहयुद्ध से पहले इसे स्वायत्तता मिली थी। साल 1939 से 1975 के बीच जनरल फ्रांसिस्को फ्रैंको के नेतृत्व में कैटेलोनिया की इस स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया था। हालांकि जब फ्रैंको की मौत हो गई, तो कैटेलोनिया को आजाद करने की फिर से मांग उठने लगी।
- इसका नतीजा यह हुआ कि साल 1978 के संविधान में इसके पूर्वोत्तर इलाकों को फिर से स्वायत्तता देनी पड़ी। इसके बाद साल 2006 में एक अधिनियम के तहत कैटेलोनिया की शक्तियों में इजाफा कर दिया गया। इस बीच कैटेलोनिया का आर्थिक दबदबा बढ़ा और वह एक राष्ट्र के रूप में देखा जाने लगा। हालांकि यह ज्यादा दिन नहीं रही और स्पेन की कोर्ट ने वर्ष 2010 में सारी शक्तियां वापस ले ली, जिससे कैटेलोनिया प्रशासन नाराज हो गया था।

06 योकोहामा ऑफ हाईवे टायर्स (YOHT)

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जापान की रबर कंपनी योकोहामा ऑफ हाईवे टायर्स (YOHT) ने विशाखापत्तनम बंदरगाह के पास अचुतपुरम इंडस्ट्रियल एरिया में 1,200 करोड़ के ग्रीनफील्ड प्लांट पर समेकित ऑफ-रोड व्यावसायिक पहचान हेतु एक विस्तृत योजना पर कार्य कर रहा है।

मुख्य तथ्य

- योकोहामा ऑफ हाइवे टायर्स (YOHT) के मुख्य परिचालन अधिकारी और योकोहामा इंडिया के उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता के अनुसार भारत में व्यापारिक संभावनाओं और क्षमता विस्तार योजना तथा बढ़ती वैश्विक मांग को पूरा करने में ये ग्रीनफील्ड प्लांट एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकता है।
- अचुतपुरम में स्थापित यह संयंत्र 80 एकड़ की साइट पर स्थित होगी जो संयंत्र +165 मिलियन के पूंजी निवेश के साथ 55 टन (रबर वजन) की दैनिक उत्पादन क्षमता से परिपूर्ण होगी। विदित हो की 2022 की दूसरी छमाही में परीक्षण के बाद 2023 की पहली तिमाही से इसका परिचालन में हो सकेगा।
- अनिल गुप्ता ने ग्रीनफील्ड प्लांट के पहले चरण को विस्तारित करने के पश्चात बहुत जल्दी ही इसकी कार्य क्षमता दोगुनी करने का प्रयास किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि ग्रीनफील्ड संयंत्र विशाखापट्टनम बन्दरगाह के पास स्थित है जिसके कारण तैयार उत्पादों के निर्यात के लिए लाभप्रद होगा।
- वर्तमान में योकोहामा ऑफ हाइवे टायर्स (YOHT) कंपनी के पास भारत में दाहेज (गुजरात) और तिरुनेलवेली (तमिलनाडु) में एक संयंत्र है। ये संयंत्र कृषि, निर्माण, औद्योगिक और वानिकी मशीनरी पर उपयोग किए जाने वाले टायर का उत्पादन करते हैं।

योकोहामा ऑफ हाईवे टायर्स (YOHT) का मेक इन इंडिया में योगदान

- YOHT, भारत के लिए एक विनिर्माण आधार के रूप में "मेक इन इंडिया" और "मेक फॉर द वर्ल्ड" की महत्वाकांक्षी योजना के लिए उत्प्रेरक हो सकता है।
- योकोहामा इंडिया के उपाध्यक्ष अनिल गुप्ता के कहा कि विनिर्माण लागत और विनिर्माण कुशल सुविधाओं की स्थिति के कारण YOHT के अधिकांश निर्यात भारत के आधार से उत्पादित होते हैं।
- ज्ञातव्य है कि YOHT, 2007 से भारत में Polymerase Chain Reaction (PCR) बेच रही है और YOHT का 2019 में एक अरब डॉलर के करीब का वैश्विक कारोबार था।
- भारत में स्थापित योकोहामा समूह का संयंत्र वैश्विक ऑफ-हाईवे टायर उत्पादन नेटवर्क का विस्तार चार देशों में स्थित आठ संयंत्रों में करेगा जिसमें जिनमें तीन भारत में, तीन जापान में, एक इजरायल में और एक वियतनाम में हैं।

07 वन नेशन–वन राशन कार्ड

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी) योजना के तहत 'मेरा राशन मोबाइल एप' का प्रारंभ किया गया है। यह एप उन लोगों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगा जो अपनी आजीविका के लिए अपने घरों से किसी अन्य स्थान पर जाते हैं।

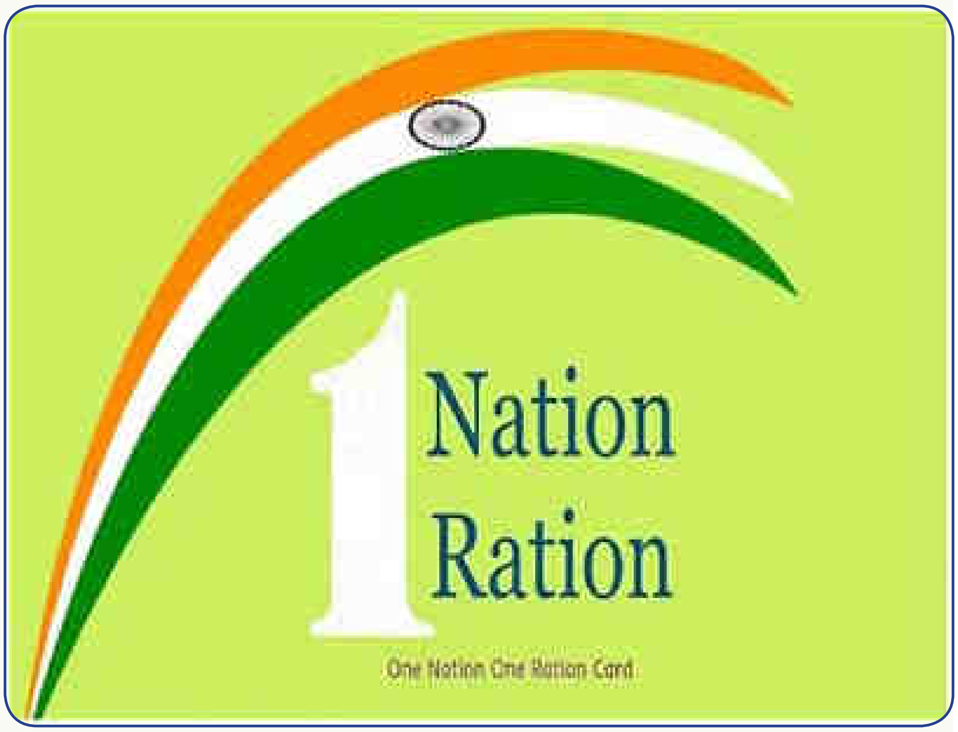

वन नेशन–वन राशन कार्ड (One Nation One Ration Card) के बारे में

- वर्ष 2019 में 'वन नेशन–वन राशन कार्ड' व्यवस्था को राशन कार्डों की अंतर–राज्यीय पोर्टेबिलिटी (Inter-State Portability) सुविधा के तहत शुरू किया गया था। यह व्यवस्था नागरिकों पर केन्द्रित एक महत्वपूर्ण सुधार है।
- भारत सरकार का खाद्य, सार्वजनिक वितरण व उपभोक्ता मंत्रालय पूरे देश में 'एक देश, एक राशन कार्ड' व्यवस्था लागू करने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- इसके क्रियान्वयन से लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी श्रमिकों और उनके परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत देश भर में किसी भी राशन कार्ड की दुकान पर राशन की उपलब्धता सुनिश्चित हो जाती है। इसके साथ ही इस सिस्टम की मदद से ही ऐसे प्रवासी श्रमिकों के परिवार के सदस्यों के घर वापसी की स्थिति में बचे हुए राशन को उसी राशन कार्ड से अन्य स्थान से प्राप्त करने की भी सुविधा मिलती है।
- यह सुधार ऐसी प्रवासी आबादी को खाद्य सुरक्षा में स्वावलम्बी बनाकर सशक्त करता है जोकि अपने निवास में लगातार बदलाव करती रहती है जैसे कि श्रमिक, दैनिक वेतनभोगी, शहरी गरीब जैसे कि बेघरबार, कचरा बीनने वाले, संगठित और असंगठित क्षेत्रों के अस्थायी श्रमिक आदि।
- यह योजना आरंभ में चार राज्यों में अगस्त 2019 में शुरू हुई और बहुत ही कम समय में दिसंबर 2020 तक 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसे लागू कर दिया गया। बचे हुए 4 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में भी अगले कुछ महीनों में इसके लागू होने की संभावना है।
- इस सिस्टम के अंतर्गत लगभग 69 करोड एनएफएसए लाभार्थी लाभान्वित हो रहे हैं जो कुल एनएफएसए जनसंख्या का लगभग 86% है और प्रतिमाह देश में औसतन 1.5 से 1.6 करोड़ लोगों को ओएनओआरसी से जोड़ा जा रहा है।

7 महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न
(मुख्य परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 क्या आप इस बात से सहमत हैं कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिक में महिलाओं की भागीदारी आवश्यकता के अनुरूप नही हैं? चर्चा कीजिए।

02 वर्तमान समय में अत्यधिक न्यायिक सक्रियता, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य टकराव को बढ़ा दिया है। समीक्षा कीजिए।

03 वर्तमान समय में लाये जा रहे जनसंख्या नियंत्रण बिल की प्रासंगिकता का मूल्यांकन कीजिए।

04 छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुए धार्मिक आंदोलन ने किस प्रकार तत्कालीन अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया? परीक्षण कीजिए।

05 'मेरा राशन मोबाइल' एप्लीकेशन/एप क्या है? यह किस प्रकार 'वन नेशन वन राशन कार्ड' धारक लाभार्थी को उचित मूल्य की दुकान तक आसान पहुँच प्रदान करेगा? व्याख्या कीजिए?

06 भारत में जनसांख्यिकी लाभांश का दोहन चुनौतीपूर्ण क्यों है?

07 विभिन्न विद्वानों का मानना है कि राष्ट्रवाद का उग्ररूप असहिष्णुता तथा विभाजन को बढ़ावा देता है। टिप्पणी कीजिए।

7 महत्वपूर्ण तथ्य (प्रारंभिक परीक्षा हेतु)

01

03

05

01 'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021' का थीम क्या है?

चुनौती को चुनो

02 WHO द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित होने वाला पहला मध्य अमेरिकी देश कौन सा है?

अल साल्वाडोर

03 आर्थिक और व्यापार मुद्दों (CGETI) पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक की किसकी अध्यक्षता में हुई।

भारत

04 देश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, किस राज्य में NTPC द्वारा विकसित की जा रही है।

तेलंगाना

05 दो साल की अवधि के लिए भारत के नए मुख्य सांख्यिकीविद् के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

जी पी सामंत

06 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर एक सिंथेटिक एपर्चर रडार (SAR) का विकास किया है।

NASA

07 दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर 'फुगाकु' किस देश द्वारा विकसित किया गया है।

जापान

7 महत्वपूर्ण उक्तियाँ (निबंध तथा उत्तर लेखन में उपयोगी)

02

04

06

01 ज्ञान को धन से ज्यादा महत्वपूर्ण समझें क्यूंकि ज्ञान शाश्वत हैं और धन क्षणभंगुर।

सुकरात

02 हमेशा ध्यान में रखिए की आपका सफल होने का संकल्प किसी भी और संकल्प से महत्त्वपूर्ण है।

अब्राहिम लिंकन

03 परिश्रम सौभाग्य की जननी है।

बेंजामिन फ्रैंकलिन

04 अगर आप केवल भविष्य के बारे में सोचते रहेंगे तो वर्तमान भी खो देंगे।

गुरू गोविन्द सिंह

05 कार्य के प्रभावी होने के लिए उसे स्पष्ठ लक्ष्य की तरफ निर्देशित किया जाना चाहिए।

जवाहर लाल नेहरू

06 एक लीडर आशा का व्यापारी होता है।

नेपोलियन बोनापार्ट

07 किसी व्यक्ति के लिए स्वयं पर विजय पाना सभी जीतों में सबसे पहली और महान है।

प्लेटो

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 9506256789 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTI NAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR: PATNA – 6204373873, 9334100961 | **CHANDIGARH** – 9216776076, 8591818500 | **DELHI & NCR** : FARIDABAD – 9711394350, 1294054621 | **GUJARAT**: AHMEDABAD - 9879113469 | **HARYANA**: HISAR – 9996887708, 9991887708, KURUKSHETRA – 8950728524, 8607221300 | **MADHYA PRADESH**: GWALIOR -9993135886, 9893481642, JABALPUR- 8982082023, 8982082030, REWA –9926207755, 7662408099 | **MAHARASHTRA**: MUMBAI - 9324012585 | **PUNJAB**: PATIALA - 9041030070, LUDHIANA – 9876218943, 9888178344 | **RAJASTHAN**: JODHPUR - 9928965998 | **UTTARAKHAND**: HALDWANI-7060172525 | **UTTAR PRADESH**: ALIGARH – 9837877879, 9412175550, AZAMGARH - 7617077051, BAHRAICH - 7275758422, BAREILLY - 9917500098, GORAKHPUR - 7080847474, 7704884118, KANPUR - 7275613962, LUCKNOW (ALAMBAGH) - 7518573333, 7518373333, MORADABAD - 9927622221, VARANASI - 7408098888

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

Subscribe Dhyeya IAS Email Newsletter (ध्येय IAS ई-मेल न्यूजलेटर सब्स्क्राइब करें)

जो विद्यार्थी ध्येय IAS के व्हाट्सएप ग्रुप (Whatsapp Group) से जुड़े हुये हैं और उनको दैनिक अध्ययन सामग्री प्राप्त होने में समस्या हो रही है | तो आप हमारेईमेल लिंक Subscribe कर ले इससे आपको प्रतिदिन अध्ययन सामग्री का लिंक मेल में प्राप्त होता रहेगा | **ईमेल से Subscribe करने के बाद मेल में प्राप्त लिंक को क्लिक करके पुष्टि (Verify) जरूर करें अन्यथा आपको प्रतिदिन मेल में अध्ययन सामग्री प्राप्त नहीं होगी |**

नोट (Note): अगर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में अध्ययन सामग्री प्राप्त करनी है, तो आपको दोनों में अपनी ईमेल से Subscribe करना पड़ेगा | आप दोनों माध्यम के लिए एक ही ईमेल से जुड़ सकते हैं |

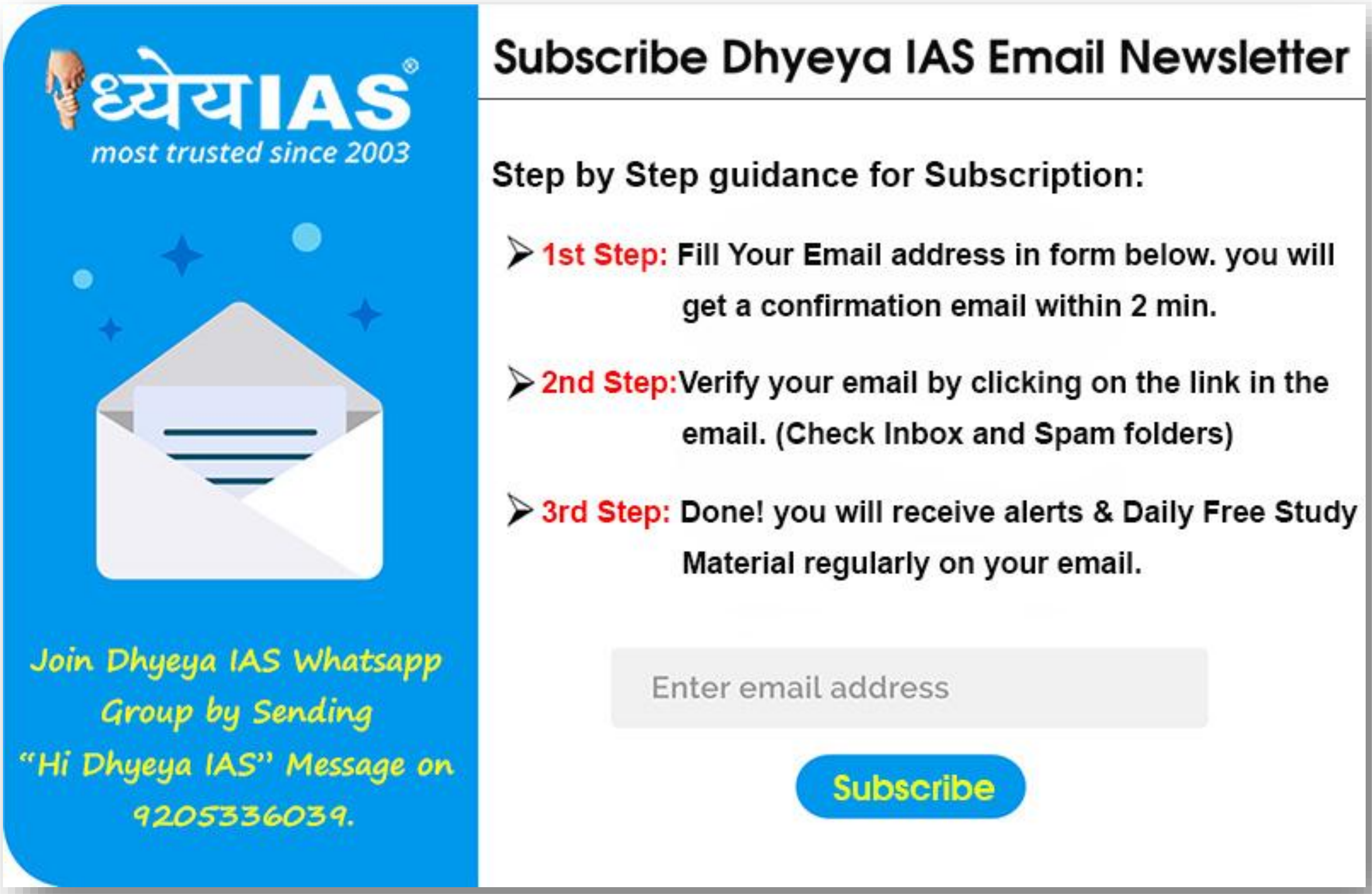

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ADMISSIONS OPEN

FOR NEW ONLINE BATCH

IAS PRE-CUM-MAINS

PCS

OPTIONAL

HINDI & ENGLISH MEDIUM

Call: 9205962002
9506256789

Whatsapp:
9205274741

Visit:
dhyeyaias.com